म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल

"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क ईस्ट৹ भोपाल 462011

फोन न.–+91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,

प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट- 2022

(केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये)

परीक्षासंचालनएवं प्रवेशनियमपुस्तिका

ऑनलाईनआवेदन-पत्र	
भरनेकीप्रारम्भतिथि:15/02/2023	भरनेकीअंतिमतिथि: 01/03/2023
आवेदनपत्रमेसंशोधनकरनेकीप्रारम्भतिथि:15/02/2023	आवेदनपत्रमेंसंशोधनकरनेकीअंतिमतिथि:06/03/2023
परीक्षादिनांकवदिन	08/06/2023,गुरुवार से प्रारंभ
परीक्षाशुल्क	
अनारक्षितअभ्यर्थियोंकेलिये	रू.400/-
अनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजाति/अन्यपिछड़ावर्ग/नि:शक्तजनअभ्यर्थियोंकेलिये	रू.200/-
ऑनलाईनआवेदन-कियोस्ककेमाध्यमसेआनलाईनभरनेवालेअभ्यर्थियोंहेतुएमपीआनलाईनकापोर्टलशुल्करूपये60/-देयहोगा।इसकेअतिरिक्तरस्टिर्डसिटीजनयूजरकेमाध्यमसेलागिनकरफार्मभरनेपरपोर्टलशुल्क20/-रू.देयहोगा।	

आनलाईनपरीक्षापद्धतिसमयसारणी

परीक्षादिनांक एवंदिन	परीक्षाकीपाली	अभ्यर्थियोंकेलियेरिपोटिंगसमय	महत्वपूर्णनिर्देशपढनेकासमय	उत्तरअंकितकासमय
08/06/2023,गुरुवार से प्रारंभ	प्रथम	प्रात: 07:00 - 08:00बजेतक	08:50से09:00बजेतक (10मिनट)	प्रात:09:00से11:00बजेतक(2:00घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 12:00 - 01:00बजेतक	01:50से02:00बजेतक (10मिनट)	दोपहर 02:00से04:00बजेतक (2:00घंटे)

टिप्पणी:-

1. अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।
2. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है ।
3. मंडलद्वाराआयोजितपरीक्षाओंमेंमूलफोटोयुक्तपहचानपत्रलानाअनिवार्यहोगा।मूलफोटोयुक्तपहचानपत्रकेरूपमेंअभ्यर्थीमतदातापहचानपत्र, पेनकार्ड, आधारकार्ड, ड्रायविंगलायसेस, तथापासपोर्टमेंसेकोईएककोचयनितकरसकताहै।यु.आई.डी.ए.आई(**UIDAI**)के द्वारा सत्यापित(**Verify**)होने पर ही ई आधार मान्य होगा।मूलफोटोयुक्तपहचानपत्रकेअभावमेंअभ्यर्थीकोपरीक्षामेंसम्मिलितहोनेसेवंचितकियाजाएगा।
4. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई. आधार कार्ड / आधार कार्ड की छायाप्रति / आधार नंबर / आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं |
5. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थियोंकोपरीक्षामेंरिपोटिंगसमयतकपरीक्षाकेन्द्रमेंप्रवेशकीअनुमतिहोगी।इसकेपश्चातविलम्बसेआनेवालेअभ्यर्थियोंकोप्रवेशकीपात्रतानहींहोगी।
7. परीक्षाकक्षमेंडिवाईसइलेक्ट्रानिकयथाडिजिटलघडीमोबाईलफोन, केल्कुलेटर, लॉगटेबल्स,एवंनकलपर्चाआदिकाउपयोगपूर्णत: वर्जितहै।
8. ऑनलाईनआवेदन-पत्रक्रमांककेद्वाराहीऑनलाईनपरीक्षाहेतुअभ्यर्थीअपनाप्रवेश-पत्रप्राप्तकरसकतेहैं।अत: आवेदन-पत्रक्रमांकआवश्यकरूपसेसंभालकररखें, जिसकीसमस्त जिम्मेदारीआवेदककीहीहोगी।
9. परीक्षाकेन्द्रपरआवेदककोकालाबालप्वाइंटपेनतथापरीक्षाहालमेंप्रवेशहेतुमंडलकीवेबसाइटसेडाउनलोडकियेगयेप्रवेश-पत्रसाथलानाअनिवार्यहै।
10. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति नहीं होगी ।
11. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण **MPESB** द्वारा नहीं किया जाता हैं **|** अतः कम्प्युटर आधारित **online**परीक्षा मे उम्मीदवारो की पात्रता (**Eligibility**) पूर्णत प्रावधिक (Provisional) होगी **|**

म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल

चयनभवन,मेनरोडनं.1,चिनारपार्क(ईस्ट),भोपाल-462011

फोननं.0755-2578801,02,03,04फैक्स:0755-2550498

वेबसाईट:www.peb.mp.gov.in,ई-मेल:E-mailId : complain.peb@mp.gov.in

प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट- 2022

(केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये)

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठक्र.
1.	1(अ),(ब)	संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ के लिये विभागीय नियम, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के लिये विभागीय नियम	03-23
2.	2.	म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल, भोपालकीपरीक्षासंचालनसंबंधीनियमावली एवं निर्देश	**24-40**
3.	3.	परीक्षाकापाठ्यक्रम	**41-46**
4.	4.	विभिन्नप्रमाण पत्रों के प्रारूप	**47-55**
5.	**प्रारूप-10**	आनलाईनआवेदनपत्रकेसाथअभ्यर्थीकाफोटो,हस्ताक्षरएवं स्वयंकीहस्तलिपीपत्रक	**56**

(शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश हेतु)

For Admission in Government Nursing Colleges

Under Public Health and Family Welfare Department

PNST

(PRE NURSING SELECTION TEST)

2022

SELECTION RULES FOR ADMISSION
TO BSc (Bachelor of science) NURSING (4 YEAR) COURSE

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन नर्सिंग महाविद्यालय के बीएससी नर्सिंग (4 वर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के लिए चयन संबंधी नियम

(FOR FEMALE CANDIDATES ONLY)
(केवल महिला उम्मीदवारों के लिए)

GOVERMENT OF MADHYA PRADESH
DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES
SATPUDA BHAWAN, BHOPAL

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्य प्रदेश

सतपुडा भवन, भोपाल

अध्याय - 1(अ)

नियम

1. सामान्य-

ये नियम राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ‘‘शासकीय बीएससी नर्सिंग महाविघालय में प्रशिक्षण हेतु चयन के नियम‘‘ कहलायेंगे।

ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश चाहते हैं।

2. परिभाषा - इन नियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षितन हो -:

(क)**'विभाग"**से अभिप्रेत है -मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
(ख)**“परीक्षा”**से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा।

(ग)प्री नर्सिंग सिलेक्शन प्रवेश परीक्षा **(PNST)** अभिप्रेत हैचयन परीक्षा।

(घ)**अनुसूचित जाति”** से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुछेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
(च)**”अनुसूचित जनजाति”** से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग जिसे भारत के संविधान के अनुछेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
(छ)**राज्य“** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य।
(ज)**“MPESB”** से अभिप्रेत है म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल ।

3. सीटोंका विवरण -:

3.1 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित शासकीय बीएससी नर्सिंग महाविघालय में श्रेणीवार सीटो का विवरण -

सं.क्र.	**श्रेणी**	**कुल सीट**
1	अनारक्षित	283
2	ई.डब्लू.एस	105
3	अनूसूचित जनजाति	210
4	अनूसूचित जाति	168
5	अन्य पिछडा वर्ग	284
		1050

3.2 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित शासकीय बी.एस.सी नर्सिंग महाविघालय खुली प्रतियोगिता एवं आशा कार्यकर्ताओं हेतु संस्थवार/श्रेणीवार सीटो का विवरण

क्र.	महाविद्यालय	कुल सीट	EWS	अनारक्षित		अन्य पिछडा वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		निःशक्तजन आरक्षण				कुल सीट
				27%		27%		16%		20%		1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	
			10%	सीधी भर्ती	आशा कार्यकर्ता 5%	सीधी भर्ती	आशा कार्यकर्ता 5%	सीधी भर्ती	आशा कार्यकर्ता 5%	सीधी भर्ती	आशा कार्यकर्ता 5%	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमे सम्मिलित है , सेरेबंल पाल्सी,कुष्ठ रोग मुक्त,बौनापन, एसिड अटैक पीडित,मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता,स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलीटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	
1	शासकिय नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर	60	6	15	1	15	1	10	0	11	1	1	1	1	1	60
2	शासकिय नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन	60	6	15	1	15	1	10	0	11	1	1	1	1	1	60
3	शासकिय नर्सिंग महाविद्यालय देवास	60	6	15	1	15	1	10	0	11	1	1	1	1	1	60
4	शासकिय नर्सिंग महाविद्यालय सतना	60	6	15	1	15	1	10	0	11	1	1	1	1	1	60
5	शासकिय नर्सिंग महाविद्यालय रायसेन	60	6	15	1	15	1	10	0	11	1	1	1	1	1	60
6	शासकिय नर्सिंग महाविद्यालय दतिया	60	6	15	1	15	1	10	0	11	1	1	1	1	1	60
7	शासकिय नर्सिंग महाविद्यालय विदिशा	60	6	15	1	15	1	10	0	11	1	1	1	1	1	60
8	शासकिय नर्सिंग महाविद्यालय झाबुआ	60	6	15	1	15	1	10	0	11	1	1	1	1	1	60
9	शासकिय नर्सिंग महाविद्यालय मंदसौर	60	6	15	1	15	1	10	0	11	1	1	1	1	1	60
10	शासकिय नर्सिंग महाविद्यालय छिन्दवाडा	60	6	15	1	15	1	10	0	11	1	1	1	1	1	60
11	शासकिय नर्सिंग महाविद्यालय बालाघाट	60	6	15	1	15	1	10	0	11	1	1	1	1	1	60

क्र.	महाविद्यालय	कुल सीट	EWS	अनारक्षित		अन्य पिछडा वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		निःशक्तजन आरक्षण				कुल सीट
				27%		27%		16%		20%		1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	
			10%	सीधी भर्ती	आशा कार्यकर्ता 5%	सीधी भर्ती	आशा कार्यकर्ता 5%	सीधी भर्ती	आशा कार्यकर्ता 5%	सीधी भर्ती	आशा कार्यकर्ता 5%	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमे सम्मिलित है , सेरेबंल पाल्सी,कुष्ठ रोग मुक्त,बौनापन, एसिड अटैक पीडित,मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता,स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलीटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	
12	शासकिय नर्सिंग महाविद्यालय सीधी	60	6	15	1	15	1	10	0	11	1	**1**	**1**	**1**	**1**	60
13	शासकिय नर्सिंग महाविद्यालय राजगढ	60	6	15	1	15	1	10	0	11	1	**1**	**1**	**1**	**1**	60
14	शासकिय नर्सिंग महाविद्यालय नरसिहपुर	60	6	15	1	15	1	10	0	11	1	**1**	**1**	**1**	**1**	60
15	शासकिय नर्सिंग महाविद्यालय सिवनी	60	6	15	1	15	1	10	0	11	1	**1**	**1**	**1**	**1**	60
16	शासकिय नर्सिंग महाविद्यालय रतलाम	60	6	15	1	15	1	10	0	11	1	**1**	**1**	**1**	**1**	60
17	शासकिय नर्सिंग महाविद्यालय खण्डवा	60	6	15	1	15	1	10	0	11	1	**1**	**1**	**1**	**1**	60
18	शासकिय नर्सिंग महाविद्यालय अनुपपूर	30	3	8	0	8	0	5	0	6	0	**0**	**1**	**1**	**0**	30

नोट अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण माननीय उच्च् न्यायालय के आदेशानुसार मान्य किया जावेगा ।

4. शैक्षणिक योग्यता /अन्य अहर्ताएं :-

4.1 उम्मीदवार भारत का नागरिक हो तथा मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो

4.2 सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय का राजपत्र असाधारण दिनांक 27 दिसम्बर 2021 अनुसार अनुसूची एक मे लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्थापना मे अनुसूची दो मे विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकन अनुसार कार्यवाही की जायेगी |

4.3 बीएससी नर्सिंग पाठयक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश/म.प्र. राज्यमुक्त स्कूल शिक्षा परिषद् भोपाल/सीबीएसई/आईसीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों से की 10+2 प्रणाली 12 वी कक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

4.4 बिन्दु क्रमांक 4.3 आशा कार्यकर्ताओं पर भी लागू होगा।

5 आयु सीमा-:

6 सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर) के लिये अभ्यर्थी की 1 जुलाई 2022 को आयु न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिये।

6.1 आशा कार्यकर्ताओं के लिये आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिये आशा कार्यकर्ता की 1 जुलाई 2022 को अधिकतम आयु 35वर्ष होनी चाहिये। आशा कार्यकर्ता के लिये आरक्षित सीटो में अधिकतम आयु सीमा (35 वर्ष) में छूट का कोई प्रावधान नही है।

6.2 अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्ग (नॉन-क्रीमिलेयर) के लिए आयुसीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

6.3 अधिकतम आयु सीमा के सम्बंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे।

6. निरर्हताएं -:

6.1 समय.समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उम्मीदवार को तीसरी संतान हो तो पात्र नहीं होंगे।

6.2 कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अनर्ह होगा।

6.3 पुरूष अभ्यर्थी अपात्र होंगे।

6.4 मध्य प्रदेश शासन से जारी राजपत्र दिनॉक 10 मार्च 2000 अनुसार अभ्यर्थी के विवाह के समय आयु 18 वर्ष से कम हो, अयोग्य; अर्थात जिस अभ्यर्थी ने निर्धारित आयु 18 वर्ष से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेंगा।

6.5 किसी अभ्यर्थी की ओर से, अभ्यर्थी के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा /चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।

6.6 परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार एवं शांति भंग करने का प्रयास करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जा सकेंगें।

6.7 फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छिपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो तो ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य माना जावेगा।

6.8 पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो, तो परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जाऐगा।

7. आरक्षण-:

7.1 मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो और अन्य पिछडा वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 क्रं 21 वर्ष 1994 के उपबंधो के अनुसार लागू होगा । तथा राज्य शासन दवारा समय समय पर आरक्षण के संबंध मे जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आरक्षण लागू होगा |

7.2 अभ्यार्थी द्वारा आरक्षण का दावा :- आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और वह मंडल या नियुक्तिप्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थियों के चयन का दावा रद्द हो जाएगा, ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।

7.3अनुसूचित जनजाति की रिक्त सीटो की पूर्ति अनुसूचित जनजाति के ऐसे ओपन अभ्यर्थियों से की जावेगी। जिन्होंने चयन परीक्षा उत्तीर्ण की है।

7.4आशा कार्यकर्ताओं के प्रवेश के लिये न्यूनतम 5 वर्ष का निरन्तर अनुभव रखने वाली आशा उम्मीदवारों के लिए, उपलब्ध सीटों में 5 प्रतिशत आरक्षित रखी जावेगी।

7.5क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र/एक भोपाल, दिनॉक 02 जुलाई, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्लू.एस.) को 10 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा बावत ।

नोट :- अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तिन किया जा सकेगा।

8. चयन प्रक्रिया -

8.1 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में बीएससी नर्सिंग के प्रशिक्षण में चयन हेतु म.प्र.कर्मचारी चयन मंडलमध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा एक चयन परीक्षा (पी.एन.एस.टी.) आयोजित की जावेगी। मंडल इस परीक्षा के आधार पर एकजाई प्रवीण्यता सूची श्रेणीवार विभाग को उपलब्ध करावेगा।

विभाग द्वारा एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से काउंसलिंग आयोजित की जावेगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल का कोई हस्ताक्षेप नहीं होगा। काउंसलिंग में छात्राओं को उनके द्वारा दिये विकल्प अनुसार मेरिट के आधार पर नर्सिंग महाविद्यालय आवंटित किया जावेगा। एम.पी.ऑनलाईन के

माध्यम से आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित दिनॉक तक उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। उपस्थिति के समय छात्राओं के मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखो का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा। समस्त अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त उपयुक्त उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जावेगा।

8.2 न्यूनतम अर्हकारी अंक (कट ऑफ मार्क्स) :-

म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंको में से अर्हकारी अंक प्राप्त किए हो। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के 5 प्रतिशत तक अंक की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अहर्ता अंक होंगे।

9. म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम की घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करना:-

9.1 म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल, सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडा वर्गो को खुली श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछडा वर्ग के है और क्रीमीलेयर मे आते है, आरक्षण के लाभ, आयुसीमा मे छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

9.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्ग क्रीमीलेयर का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित (ओपन) सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जायेगी और ऐसे अभ्यर्थी को उसके संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या मे नहीं जोड़ा जावेगा।

9.3 आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात् अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडा वर्गो नॉन क्रीमीलेयर के सफल अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देते हुये पृथक सूची जारी की जाएगी।

10. अभ्यर्थियोंद्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना-:

म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल,भोपाल एक विज्ञापन जारी करेगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख का उल्लेख किया जाएगा, अभ्यर्थी अपना आवेदन ऑनलाइन नियत तिथि में जैसा कि मंडल द्वारा निर्देशित किया जाए प्रस्तुत करेंगें।

ऑनलाईन आवेदन के समय स्केन कॉपी अपलोड करने हेतु अनिवार्य दस्तावेजो की सूची-:

a. 10 वीं की अंकसूची जन्म दिनॉक की पुष्टि हेतु ।
b. 12 वी की 10+2 प्रणाली में अंक सूची
c. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मध्यप्रदेश द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र।
d. मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।

11. आवेदन शुल्क:-

a. आवेदन शुल्क की प्रक्रिया, प्रपत्र एवं शुल्क आदि का निर्धारण म.प्र.कर्मचारी चयन मंडलके मापदंडों के अनुसार होगा जिसका व्यय स्वयं आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।

b. आवेदन पत्र एम पी ऑन लाईन कियोस्क के माध्यम से प्रस्तुत किये जा सकते है) जिसका शुल्क आवेदक द्वारा कियोस्क केन्द्र पर नगद भुगतान करना होगा ।
c. ऑनलाईन आवेदन, त्रुटि सुधार एवं संशोधन का एक अवसर आवेदक को प्रदान किया जावेगा, जिसका भार आवेदक द्वारा म.प्र.कर्मचारी चयन मंडलके मापदंडों के अनुसार देय होगा।
d. शुल्क मे छूट जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये लागू है, मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों पर ही लागू होगी जिन्हे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्यपिछडा वर्ग का घोषित किया गया है।
e. ऐसे अभ्यर्थी जो अन्यपिछडा वर्ग के है और क्रीमीलेयर मे आते है, आरक्षण के लाभ, आयु सीमा मे छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

12. परीक्षा का पाठ्यक्रम-:

परीक्षा MPESB द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल, द्वारा पोर्टल पर सिलेबस प्रदर्शित किया जायेगा जिसके आधार पर परीक्षा आयोजित की जावेगी।

13. सहवरिष्ठता -:

परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची निर्धारित होगी,परन्तु परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की आपसी सहवरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी। आयु समान होने की स्थिति में चयन परीक्षा के विषयों में उल्लेखित विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांको को आधार बनाकर निश्चित किया जावेगा। प्रथम-जीव विज्ञान, द्वितीय-रसायन, तृतीय-भौतिकी एवं चतुर्थ-अंग्रेजी ।

यह आवश्यक नहीं है कि अंतिम **CUT-OFF** मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को चयन सूची में सम्मिलित किया जाये।

14. प्रवेश प्रक्रिया:-

14.1MPESBद्वारा परीक्षा परिणाम जारी करते समय अंकसूची में भी उम्मीदवारों की मेरिट का उल्लेख किया जावेगा। परीक्षा केन्द्र का आवंटन म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल,के माध्यम से एम.पी. ऑनलाईन द्वारा किया जावेगा। मेरिट सूची के आधार पर छात्राओं को उनके द्वारा एम.पी. आनलाईन में किये गये पंजीयन के आधार पर प्रशिक्षण केंद्रो में प्रवेश दिया जावेगा।

नोट - वर्ष 2022 जुलाई सत्र में प्रवेश हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पृथक से कोई काउंसलिंग नहीं की जावेगी।

जो उम्मीदवार नियत तिथि को उपस्थित नहीं होगें, उनका कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। उपस्थित होने वाले उम्मीदवारो को मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।

नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश की प्रथम चरण की काउंसलिंग के उपरांत रिक्त सीटों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट www.health.mp.gov.inएवं एम.पी.आनलाईन पर प्रदर्शित की जावेगी।

14.2 **प्रवेश के लिये प्रक्रिया:-** उम्मीदवारों को **बी.एस.सी नर्सिंग महाविद्यालय** में प्रवेश के समय आवंटित प्रशिक्षण केन्द्रों में निम्न मूल प्रमाण-पत्र साथ में लाना अनिवार्य है। **किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में अभ्यर्थी अपात्र माना जावेगा एवं उसे प्रवेश नहीं दिया जावेगा।** इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

1. माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश/मध्यप्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा परिषद् भोपाल/सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई.से मान्यता प्राप्त स्कूलों की 10+2 प्रणाली की कक्षा दसवी एवं बारहवीं कीअंकसूची (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी (साइंस बायो ग्रुप) प्रत्येक की एक-एकसत्यापित एवं मूल अंकसूची।

2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मध्यप्रदेशद्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रतिएवं सत्यापित छायाप्रति ।

3. मूल निवासी प्रमाण-पत्र की मूलप्रति एवं सत्यापित छायाप्रति।

4. प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा। गर्भवती उम्मीदवार प्रशिक्षण हेतु अपात्र होगी।

5.आशा कार्यकर्ताओं के लिये 5 वर्ष का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशंसित सेवा अनुभव प्रमाण पत्र।

6,पी.एन.एस.टी. अंकसूची एवं प्रवेश पत्र मूलतः एवं सत्यापित छायाप्रति।

14.3प्रवेश के समय चयानित छात्राओं द्वारा रूपये 2,00,000/- (दो लाख) का अनुबंध नर्सिंग महाविदयालयमें अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।

टिप्पणीः-

(i) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग में चयन किया जायेगा।

(ii) प्रवेश हेतु उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि अध्याय-एक में दिये नियमों के अनुसार वे प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से पात्र है।

(iii) किसी भी उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा एवं उपयुक्त विधिक कार्यवाही की जावेगी।

उम्मीदवार को मेरिट सूची के आधार पर शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जावेगा। मूल दस्तावेजों का सत्यापन समय सीमा में कराना अनिवार्य होगा। उपस्थिति के समय छात्राओं के मूल प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण-पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा। समस्त अभिलेखों के परीक्षण उपरांत उपयुक्त उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जावेगा। आवंटित नर्सिंग महाविघालय में उपस्थिति देने की निर्धारित तिथि तक उपस्थित होना अनिवार्य है। उक्त सत्यापित दस्तावेज गलत पाए जाने पर प्रवेश निरस्त किया जाएगा।

15चयन उपरान्त पी.टी.एस. (प्रिलिमनरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेन्ट परीक्षा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य :

चयनोपरान्त प्रशिक्षण केन्द्रों में 3 माह के प्रशिक्षण के बाद पी.टी.एस. (प्रिलिमनरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेन्ट परीक्षा) जो कि संबंधित संस्था द्वारा ली जायेगी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इस परीक्षा में असफल होने पर प्रशिक्षण से निष्कासित कर दिया जावेगा।

16 प्रशिक्षण अवधि के पूर्ण होने के पूर्व सीट त्यागना :-

चयनित छात्रा द्वारा यदि शैक्षणिक सत्र के बीच में सीट त्याग दी जाती है अथवा प्रशिक्षण छोडा जाता है तो अभ्यर्थी से अनुबंध अनुसार 2,00,000/- (दौ लाख रूपये) की अनुबंध राशि वसूल की जावेगी। जो सीट प्रशिक्षण छोडने से रिक्त हुई है उसका लाभ अन्य अभ्यर्थी को प्राप्त हो सकता था परन्तु अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण अवधि के मध्य में प्रशिक्षण छोडने के कारण उक्त सीट रिक्त रहेंगी।

17 प्रवेश रद्द करना :-

यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी प्रमाण-पत्र परीक्षण उपरांत फर्जी पाये जाने की स्थिति में चूकवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक, स्वास्थ्य सेवायें का निर्णय अंतिम होगा।

18 चयन हेतु नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने का अधिकार केवल राज्य शासन को :-

उम्मीद्वार के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा। यदि इन प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

19 प्रवेश प्रक्रिया के नियमों में संशोधन का अधिकार :-

राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

20 प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें एवं नियम :-

शासकीय नर्सिंग महाविघालयों में प्रवेश के उपरान्त परीक्षार्थी को जिन नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट - "अ"में दिये गये हैं।

21. Pre Service Examination में चयन उपरान्त पदभार ग्रहण करने के पश्चात विभाग के अधीन न्यूनतम 5 वर्ष की शासकीय सेवा निर्दिष्ट स्वास्थ्य संस्थान में देने हेतु चयनित अभ्यर्थी बाध्य होंगे अन्यथा 2,00,000/- (दौ लाख रूपये) की वसूली, डिफाल्टर अभ्यर्थी से की जावेगी।

21.1 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय से सफलतापूर्वक बी.एस.सी नर्सिंग उत्तीर्ण होने के उपरान्त तत्समय विभाग के अधीन चिकित्सा संस्थाओं में स्टॉफ नर्सेस के पद रिक्त होने की स्थिति में नियुक्ति हेतु उक्त वर्ष में उपलब्ध स्टॉफ नर्सेस के रिक्त पदों/आवश्यकता के आधार पर मैरिट/वरीयता का निर्धारण करते हुऐ शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

उप संचालक (पीएसई)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

परिशिष्ट -अ

<u>बी.एस.सी नर्सिंग हेतु नियम एवं शर्ते</u>

1.बी.एस.सी नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि चार वर्ष की होगी।

2.. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

3. प्रशिक्षण केन्द्र में जो अवकाश स्वीकृत होंगे वही प्रदाय किये जावेगे। मेडिकल की स्थिति में अधिकतम 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा।

4. प्रशिक्षणार्थी को ड्यूटी के समय संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9/नर्सिंग/प्रशि.-3/94/1588/1601, दिनांक 7-5-1994 के अनुसार संशोधित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा।

5. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये अभिभावक से मिल सकने की व्यवस्था और बडे त्यौहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सकेगी।

6. छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता-पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किये गये व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जावेगी।

7. छात्राओं को कार्य (ड्यूटी समय) पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

8.ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

9. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य है।

10. छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।

11. छात्राओं को बाहर आने-जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

12. प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण केन्द्र से दूसरे प्रशिक्षण केन्द्र में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।

13. उपरोक्त निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर एवं प्राचार्य की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।

14. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करना भी छात्राओं के लिये अनिवार्य होगा।

15. बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु छात्राओं द्वारा 2,00,000/- (दौ लाख रूपये) के बॉण्ड के साथ सॉल्वेंसी भरना अनिवार्य है। शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुसार अनुबंध / बॉण्ड भरना होगा।

उप संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

PNST – 2022

PRE NURSING SELECTION TEST – 2022

(B.Sc. NURSING SELECTION TEST)

FOR GIRLS ONLY

केवल लड़कियों के लिये बी.एस.सी.नर्सिंग में प्रवेश हेतु

उम्मीदवारों का चयन संबंधी नियम

मध्यप्रदेश शासन

चयन नियम

RULES FOR SELECTION

SELECTION OF CANDIDATES FOR ADMISSION TO B.Sc. NURSING

(4 YEARS COURSE) TO GOVERNMENT NURSING COLLEGES UNDER DEPARTMENT OF MEDICAL EDUCATION

2022

Made and Issued by

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION

GOVT.OF MADHYA PRADESH, BHOPAL

अध्याय-1 (ब)

बी.एस.सी.नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण हेतु

चयन के लिए नियम - 2022

1.1 सामान्य :

1.1 ये नियम राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के ''शासकीय बी.एस.सी.नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण हेतु चयन के नियम'' कहलायेंगे ।

1.2 ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय कॉलेजों ऑफ नर्सिंग में प्रवेश लेना चाहते हैं।

1.3 परिभाषाएं :

इन नियमों में -

1. राज्य शासन से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन ।

2. टेस्ट से तात्पर्य है Pre-Nursing (B.Sc. Nursing) Selection Test (PNST) प्री नर्सिंग चयन परीक्षा ।

3. आयुक्त/संचालक से तात्पर्य है आयुक्त/संचालक चिकित्सा शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।

4. वर्ग से तात्पर्य है 7 वर्गों के उम्मीदवार तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/सैनिक कोटा/विकलांगता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग जिनके लिये सीटें प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आरक्षित की गयी है ।

2.1 सीटों का आरक्षण :

बी.एस.सी.नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ावर्ग(क्रीमीलेयर को छोड़कर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) वर्गो के लिये क्रमशः प्रवेश क्षमता का 16%,20%,27% तथा 10% सीटों का आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा परिशिष्ट - ''अ'' - में दिया गया है ।

टिप्पणी :-

(अ) विभिन्न आरक्षित वर्गों में से उम्मीदवार केवल एक ही वर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस आरक्षित वर्ग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधीत प्रमाण पत्र इस परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

नोट :- मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडा वर्ग, EWS तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक वर्ग के अभ्यार्थियों को प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.2 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) अन्य पिछडा वर्ग तथा अर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग को प्रवेश के समय आवंटित केन्द्र में म.प्र. के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.1 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :-

प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार की पात्रता होगी :-

1. जो भारत का नागरिक हो ।
2. मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो ।
3. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)

3.2 **शैक्षणिक अर्हता :-** बी.एस.सी.नर्सिग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान एवं अंग्रेजी अनिवार्य विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशतअंकों से उत्तीर्ण हो । आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

अथवा

मध्यप्रदेश में संचालित सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त स्कूलों से 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उक्त चयन में प्रवेश हेतु पात्रता होगी । आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशतअंक की छूट रहेगी ।

3.3 अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों की पात्रता :- प्रवेश परीक्षा में वे छात्राएं भी सम्मिलित हो सकती हैं जो इस वर्ष (3.2) में वर्णित परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहीं है । पूरक (सप्लीमेंट्री) आने पर प्रवेश हेतु पात्रता नहीं होगी

3.4 नर्सिंग जिसका सीधा संबंध जन सामान्य के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज में है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग म0प्र0 का राजपत्र दिनॉक 2019/12/20 के अनुसार शारिरिकरूपसेदिव्यांग (लोकोमेटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त,बोनापन, एसिड अटैक पीडित मस्कुलर डिस्ट्राफी)प्रवेश हेतु पात्र होंगें इसके अतिरिक्त अन्य दिव्यांग उम्मीदवारप्रशिक्षण में प्रवेश हेतुअपात्रहोंगें |

3.5 **आयु सीमा :-** 1 अक्टुबर 2022 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिये । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं परित्यक्ता तथा विधवाओं के लिये आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

3.6 **स्पष्टीकरण :-** आयु सीमा की गणना करते समय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल का प्रमाण-पत्र (10वीं) की अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा । अन्य दस्तावेजों को प्रमाण-पत्र के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा ।

4. **चयन प्रक्रिया :-**

4.1 प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण में चयन हेतु व्यवसायिक परीक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा चयन परीक्षा बी.एस.सी नर्सिंग चयन परीक्षा (प्री. नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट) आयोजित की जावेगी। मंडल द्वारा इस परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूचियां वर्गवार उपलब्ध करायी जावेंगी।

नोट :- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अर्थिक रूप से कमजोर EWS वर्ग का कोई उम्मीदवार, जिसका नाम आरक्षित वर्ग की मेरिट/प्रतीक्षा सूची के साथ ही साथ अनारक्षित वर्ग की मेरिट/प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित है, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को उसकी मैरिट कम च्वाइस के आधार पर आवंटन होगा।

4.2 काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिये न्यूनतम अर्हकारी अंकों का प्रावधान नहीं रखा गया है । प्रवेश हेतु केवल एक प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी विषयों के भाग होगें ।सभी विषयों का मूल्यांकन अलग-अलग होगा एवं सभी के अंक मिलाकर एक प्राप्तांक होगा। मेरिट सूची अंग्रेजी विषय के अंको को जोड़कर तैयार की जावेगी ।

4.3 समान कुल प्राप्तांक अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता :- समान कुल अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी की प्रावीण्यता, विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर-निश्चित किया जावेगा। प्रथम-जीवविज्ञान, द्वितीय-रसायन, तृतीय-भौतिकी एवं चतुर्थ-अंग्रेजी ।

4.4 प्रवेश परीक्षा में उम्मीद्वारों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट सूचियां बनायी जावेंगी ।

5.1 **प्रवेश प्रक्रिया :-**

5.1(अ) मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करते समय अंकसूची में भी उम्मीद्वारों के मेरिट क्रम वर्गवार (सामान्य केटेगरी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ अर्थिक रूप से कमजोर EWS वर्ग) उल्लेख किया जावेगा। प्रशिक्षणकेन्द्र का आवंटन एम.पी.आनलाईन के माध्यम से कौंसलिंग द्वारा किया जावेंगा।

5.1(ब) **चिकित्सा शिक्षा विभाग :-** चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीनस्त शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर, भोपाल, सागर, ग्वालियर, जबलपुर व रीवा मे प्रवेश हेतु काउंसिलिंगएम.पी. ऑन-लाईन के माध्यम से आयोजितकी जायेगी एवं एम.पी.आनलाईन के माध्यम से आवंटित नर्सिंग महाविद्यालय में निर्धारित तिथि तक उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। उपस्थिति के समय छात्राओं के मूल प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण-पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा। समस्त अभिलेखों के परीक्षण उपरांत उपयुक्त उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जावेगा। कांउसलिंग हेतु तिथि एवं प्रक्रिया की विज्ञप्ति पृथक से विभिन्न समाचार पत्रों में जारी की जावेगी ।

5.2 **प्रवेश के लिये प्रमाण-पत्रों की सूची :-**उम्मीदवारों को बी.एस.सी.नर्सिग महाविद्यालय में प्रवेश के समय आवंटित प्रशिक्षण केन्द्रों में निम्नांकित मूल प्रमाण-पत्रों को साथ में लाना अनिवार्य है। किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार को अपात्र माना जावेगा एवं उनको प्रशिक्षण हेतु प्रवेश नहीं दिया जावेगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

1. 10+2 प्रणाली कीकक्षा दसवी, बारहवी की अंकसूची (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी (साइसबायो ग्रुप) अंग्रेजी विषय अनिवार्य प्रत्येक की एक-एक सत्यापित एवं मूल अंकसूची ।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की मूलप्रति एवं छायाप्रति सत्यापित कराकर साथ में लावें ।
3. मूल निवासी प्रमाण-पत्र की मूलप्रति एवं प्रत्येक की सत्यापित छायाप्रति ।
4. प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण-पत्र। गर्भवती उम्मीदवार अपात्र (अनफिट) होगी ।
5. **E.W.S** प्रमाण-पत्र की मूलप्रति।

6 **Freedom Fighters**प्रमाण-पत्र की मूलप्रति।

7 **विकलांगता** प्रमाण-पत्र की मूलप्रति।

टिप्पणी :-

(i) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग में चयन किया जायेगा ।

(ii) किसी भी उम्मीद्वार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा ।

6.1 **चिकित्सा शिक्षा विभाग :-** प्रशिक्षण के उपरांत 7 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा संचालित सभी अध्ययनरत 810 उम्मीदवारोंको शासकीय नर्सिग महाविद्यालय में 4 वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरान्त स्टॉफ-नर्स के पद पर म.प्र. के चिकित्सा

शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत चिकित्सालयों में कहीं भी 7 वर्ष की शासकीय सेवा देना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय उम्मीद्वार से वसूल किया जाएगा, अनुबंध-पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा अनुबंध पत्र जमा कराये जाने के उपरांत ही स्टायफण्ड का भुगतान किया जावेंगा।

स्पष्टीकरण - उपसचिव मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमंाक एफ-5-181/2015/55-2 भोपाल दिनांक 16/12/2015 के अनुसार ही 7 वर्ष की शासकीय सेवा लेना के लिए आदेशित किया गया।

7.1 **प्रवेश रद्द करना :-**

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीद्वार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर, ससंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीद्वारों को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीद्वार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिनासूचना के रद्द किया जाएगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में राज्य शासन, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा ।

7.2 प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रवेशित छात्राओं द्वारा अपना प्रवेश स्वेच्छा से निरस्त कराया जाता है तो जमा प्रशिक्षण शुल्क राशि का 10 % कटौत्रा कर शेष राशि का भुगतान किया जावेगा। साथ ही चार वर्षिय पाठ्यक्रम के दौरान छात्रा अपना प्रवेश स्वेच्छा से निरस्त कराती है तो उनको द्वितिय वर्ष / तृतिय वर्ष एवं चतुर्थ वर्ष की प्रशिक्षण शुल्क जमा करना अनिवार्य होगी।

8.1 **चयन हेतु नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने का अधिकार केवल राज्य शासन कोः-**

उम्मीद्वार के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नपर निर्णय लेने के लिये म.प्र. राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा । यदि इन प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) से संबंधित कोई प्रश्नउपस्थित होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9.1 **नियमों/प्रवेश प्रक्रिया में संशोधनका अधिकार :-**

म.प्र. राज्य शासन, भोपाल प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है । इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा ।

10.1 **प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें एवं नियम :-**

बी.एस.सी.नर्सिग प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरान्त परीक्षार्थी को जिन नियमों एवं शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिषिष्ट-'ब' में दिये गये हैं ।

11.1 आवंटन के पश्चात् कॉलेज परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

Directorate of Medical Education Madhya Pradesh

Category/Class wise Distribution of B.Sc. Nursing Seat in Government Nursing Colleges of Madhya Pradesh (Medical Education Dept.) Academic Session 2022-23

Name of Nursing Colleges	Number of Seats	Unreserved					Scheduled Tribe					Scheduled Caste					Other Backward Class					Economically Weaker Section (UR)				
		H	SN	FF	OPEN	Total	H	SN	FF	OPEN	Total	H	SN	FF	OPEN	Total	H	SN	FF	OPEN	Total	H	SN	FF	OPEN	Total
Govt. Nursing College MGM Indore	210	3	1	2	51	57	2	1	1	38	42	2	1	1	29	33	3	2	1	51	57	2	1	1	17	21
Govt. Nursing College GMC Bhopal	120	2	1	1	29	33	1	1	1	21	24	1	1	1	16	19	2	1	1	28	32	1	0	0	11	12
Govt. Nursing College NSCB Jabalpur	120	2	1	1	28	32	1	1	1	21	24	1	1	1	16	19	2	1	1	29	33	1	0	0	11	12
Govt. Nursing College GRMC Gwalior	120	2	1	1	29	33	1	1	1	21	24	1	1	1	16	19	2	1	1	28	32	1	0	0	11	12
Govt. Nursing College SSMC Rewa	120	2	1	1	28	32	1	1	1	21	24	1	1	1	16	19	2	1	1	29	33	1	0	0	11	12
Govt. Nursing College BMC Sagar	120	2	1	1	28	32	1	1	1	21	24	1	1	1	17	20	2	1	1	28	32	1	0	0	11	12
Total Seat	810	13	6	7	193	219	7	6	6	143	162	7	6	6	110	129	13	7	1	193	219	7	1	1	72	81

H- Physically Handicapped, SN-Sainik, FF- Freedom Fighter

परिशिष्ट - 'ब'

बी.एस.सी.नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें

01. बी.एस.सी.नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि 4 वर्ष की होगी ।

02. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में जगह रिक्त होने पर छात्रावास दिया जावेगा अन्यथा स्वंय रहने की व्यवस्था करनी होगी व छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

03. प्रशिक्षण अवधि में छात्रा द्वारा विवाह किये जाने पर व गर्भधारण करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेंगी जिसके लिए छात्रा स्वयं जिम्मेदार रहेंगी।

04. प्रत्येक वर्ष के युनिवर्सिटी के नियमानुसार अवकाश की पात्रता रहेगी। आई.एन.सी. के मापदण्ड अनुरूप पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के नियम का पालन करना होगा।

05. प्रशिक्षणार्थी को ड्यूटी के समय संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9/नर्सिंग/प्रशि.-3/94/1588/1601 दिनांक 7-5-1994 के अनुसार संशोधित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा ।

06. छात्राओं को कार्य पर होते हुए रिश्तेदारोंसे मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

07. ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

08. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य है और धोबी से कपडे धुलवाना अनिवार्य है।

09. छात्रावास में निवासरत् छात्राओं को संध्याकालिन रोलकॉल में प्रत्येक छात्रा को उपस्थिति देना अनिवार्य है।

10. छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता-पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किये गये व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जावेगी एवं अधिकृत किये गये व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नं, आधार कार्ड, व्यक्ति से संबंध एवं फोटो अनुमति पत्रक के साथ जमा करना होगा ।

11. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये पास दिया जावेगा एवं बडे त्यौहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सकेगी । परन्तु यह व्यवस्था प्रभारी, प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षणार्थी की धार्मिक भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में, क्लास एवं क्लीनिकल फील्ड अनुभव में बाधक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेंगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को इसका पालन करना होगा।

12. छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोलकाल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा ।

13. छात्राओं को बाहर आने-जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर करना अनिवार्य है ।

14. उपरोक्त निर्देशो/शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर एवं प्राचार्या के शिकायत के आधार पर छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए छात्रावास से निष्कासित किया जावेगा ।

15. प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण केन्द्र से दूसरे प्रशिक्षण केन्द्र में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।

16. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करना भी छात्राओं के लिये अनिवार्य होगा।

17. छात्राओं द्वारा रू.2 लाख का अनुबंध (बाण्ड) भरना अनिवार्य है। (शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित के अनुसार अनुबंध (बाण्ड) भरना होगा)।

चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु :-

18. भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के मापदण्ड अनुसार छात्राओं को कक्षा में शैक्षणिक सत्र के दौरान 80 प्रतिशतसे कम उपस्थिति होने पर वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठने दिया जावेगा।

19. प्रशिक्षण के दौरान शुल्क हेतु कुल देय राशि - अवर सचिव म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-2-63/03/55/चि.शि./1 भोपाल दिनांक 06.04.2004 के अनुसार कांउसिलिंग के समय अनिवार्य रूप से निर्धारित निम्न शुल्क देय करना होगा जिसका विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

(अ) प्रशिक्षण शुल्क - रू 25,000 प्रतिवर्ष

कम्प्यूटर शुल्क - रू 1,000 (सिर्फ एक बार)

कॉशन मनी- रू 500 (सिर्फ एक बार एवं रिफंडेबल)

ट्रांसपोर्ट फीस - रू 1,500 प्रतिवर्ष

कुल शुल्क रू 28,000

(ब) होस्टल फीस- रू 6,000 प्रतिवर्ष (होस्टल उपलब्ध होने पर)

(स) काउंसिलिंग फीस- रू 1,000 (सिर्फ एक बार)

शा. नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर में प्रवेश पाने वाले छात्राओं को काउंसिलिंग के दौरान उपरोक्त अ, ब, एवं स बिन्दुओं में दशाई गई शुल्क राशि को 3 पृथक डी.डी. में जमा करना अनिवार्य होगा।

उक्त तीनों डी.डी. सी.ई.ओ., ऑटोनोमस सोसायटी, शा. नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर के नाम से देय होगी।

20. शासन नियमानुसार समस्त नवीन प्रवेश प्राप्त (एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी./सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/सैनिक कोटा/विकलांगता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग) छात्राओं को प्रतिमाह रू. 3500/-चार वर्षो तक शासन द्वारा स्टायफण्ड प्रदाय किया जाएगा ।

21. शासन नियमानुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल एवं रीवा में प्रवेश प्राप्त अनुबंधित छात्राओं को चार वर्षिय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात म.प्र.शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिन शासकीय चिकित्सालयों में स्टाफ नर्स पद रिक्त होने की स्थिति में स्टाफ-नर्स के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

नोटः-

01. वर्तमान मे शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर में छात्राओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण के छात्रावास में रूम उपलब्ध होने पर ही प्रवेशित छात्राओं को छात्रावास में निवासकी सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

02. शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल व रीवा में नवीन प्रवेशप्राप्त करने वाली छात्राओं को बिन्दु क्र. 18 दशायें गये दिशा निर्देशानुसार ही निर्धारितप्रशिक्षण शुल्क, छात्रावास शुल्क, अन्य शुल्क व कांउसिलिंग शुल्क देय होगी। परन्तु उक्तनर्सिंग महाविद्यालयों समस्त शुल्क की डी.डी. अलग-अलग नाम से देय होगी।

03. महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं अन्य संगठन द्वारा की जाने वाली हडताल/अन्य गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए पात्र नही होंगी!

अध्याय-2

म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल, भोपालपरीक्षासंचालनकेनियमएवंनिर्देश

<u>खण्ड-अ</u>

2.1 (i)

इसपरीक्षाहेतुकेवलऑनलाईनआवेदनपत्रप्राप्तकिएजायेंगे,जिसमेंसेआवेदकद्वाराअपनीशैक्षणिकवअन्यअर्हताकोध्यानमेंरखतेहुएआवेदनपत्रप्रस्तुतकियाजायेगा।**अभ्यर्थीशैक्षणिकअर्हताओं काभलीभॉंतिअध्ययनउपरान्तहीआवेदनपत्रभरें।**

(ii) **विभागीय नियमावली एवं अभ्यर्थियों द्वाराआवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी ।**

(iii) **पदों/सीट्सकीसंख्यामेंआवश्यकतानुसारकमीयावृद्धिकीजासकतीहै।**

(iv) **अभ्यथी के परीक्षा केन्द्र/तिथि परिवर्तन के आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे**

2.2 (i) <u>आवेदककेपासन्यूनतमशैक्षणिकअर्हतायेंकाउसलिंगकीतिथिकोअनिवार्यरूपसेपूर्णहोनेचाहिये।</u>

(ii) आवेदकद्वारागलतजानकारीदियेजानेकीस्थितिमेंउनकाआवेदनपत्रनिरस्तकियाजासकेगा।

(iii) ऑनलाईनआवेदन-पत्रमेंभरीगईजानकारीकासत्यापनचयनकेसमयसंबंधितविभाग/संस्थायाभर्तीपरीक्षामेंसंबंधितविभागद्वारानियुक्तिपत्रप्रदानकरनेकेपूर्वकियाजायेगा।

(iv)

यदिबादमेंयहपताचलताहैकिआवेदकद्वारागलतअथवाअसत्यजानकारीअथवाकिसीजानकारीकोछुपायाहैऐसीस्थितिमेंकिसीभीस्तरपरसंस्थाप्रमुख/संबंधितविभागद्वारापरीक्षामेंप्रवेश/चयन/नियुक्तिनिरस्तकीजासकेगी ।

(v)

आवेदकद्वाराछद्मरूपसेएकसेअधिकआवेदनकियेजानेएवंतदनुसारपरीक्षामेंबैठनेपरअभ्यर्थीकीअभ्यर्थितानिरस्तकीजावेगी।

2.3परीक्षाहालमेंलेजानेहेतुआवश्यकसामग्री:-

(i) बोर्डकीवेबसाइटसेडाउनलोडकियागयाप्रवेश-पत्र।

(ii) कालाबॉलप्वाइंटपेन।(उपस्थितिपत्रकपरहस्ताक्षरएवंअन्यलिखितकार्य हेतु।)

(iii) फोटोयुक्तमूलपहचानपत्र-मतदातापहचानपत्र,पेनकार्ड,आधारकार्ड,ड्रायविंगलायसेस,अधिकारिकरूपसेजारीएवंहस्ताक्षरितअंकसूचीमयफोटोग्राफतथापासपोर्टमेंसेकोईएकलानाअनिवार्य,यु.ए.डी.आई.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।

2.4 परीक्षामेंकिसीभीप्रकारकीइलेक्ट्रानिकडिवाईसयथाScientific Calculator, Mobile Phone,Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitenerइत्यादिपूर्णत:वर्जितहै।

2.5 लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर:-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011एवं पी ई बी के आदेश क्रमांक पी ई बी / प-1 / 712 / 2020 भोपाल दिनाक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) नि:शक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से नि:शक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी | किन्तु दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी | सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु) की सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित पी ई बी कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनाक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ताकि पी ई बी स्तर पर नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके| आपरिहर्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी |

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अहर्ता/प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए | उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकण्ड्री होना चाहिए ।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटेकीअवधिकेप्रश्नपत्रकेलिए	60 मिनट

2 घंटे30 मिनिट कीअवधिकेप्रश्नपत्रकेलिए	50 मिनट
2 घंटेकीअवधिकेप्रश्नपत्रकेलिए	40 मिनट
1 घंटे30 मिनिट कीअवधिकेप्रश्नपत्रकेलिए	30 मिनट

(स) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा |

नोट :- **विभागीय नियम की कंडिका क्रमांक 3.4के अनुसार नर्सिंग जिसका सीधा संबंध जन सामान्य के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज में है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग म.प्र. का राजपत्र दिनाँक 2019/12/20के अनुसार शारिरिकरूपसेदिव्यांग (लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त,बोनापन, एसिड अटैक पीडित मस्कुलर डिस्ट्राफी)प्रवेश हेतु पात्र होंगें इसके अतिरिक्त अन्य दिव्यांग उम्मीदवारप्रशिक्षणमें प्रवेश हेतुअपात्रहोंगें |**

2.6 प्रवेश-पत्रप्राप्तकरनेकीप्रक्रिया:

ऑनलाईनआवेदन-पत्रक्रमांककाप्रयोगकरआवेदकअपनाप्रवेश-पत्रपी.ई.बी.कीवेबसाईटwww.peb.mp.gov.in सेमुद्रितकरपरीक्षामेंसम्मिलितहोसकतेहैं।

नोट: -

प्रवेशपत्रजारीहोनेकेउपरांतकिसीतरहकात्रुटिसुधारनहींकियाजायेगाएवंकिसीभीप्रकारकीत्रुटिदृष्टिगोचरहोनेपरपी.ई.बी.ऑनलाईनआवेदन-पत्रकोरद्द/निरस्त/परिवर्तितकरनेकाअधिकारसुरक्षितरखताहै।

2.7 परीक्षाप्रवेश-पत्र(Test Admit Card) :-

(i) नियमानुसारमान्यऑनलाईनआवेदन-पत्रोंकेप्रवेश-पत्र(Test Admit Card-TAC)पी.ई.बी.कीवेबसाईटwww.peb.mp.gov.inपरदोभागोंमेंउपलब्धकराएजायेंगे।जिसमें प्रथमभागमेंआवेदक,परीक्षाकानाम,रोलनंबरएवंपरीक्षाकेन्द्रकाविवरणइत्यादिसमाहितहोगा।

(ii) अतिरिक्तरूपसेइसभागमेंआवेदककेआवेदनपत्रमेंभरेगयेशरीरकेस्थायीपहचानचिन्हतथाफोटोयुक्तपहचानपत्रकाविवरणतथाक्रमांकभीअंकितहोगा।

(iii) परीक्षाकेदौरानहीवीक्षककेसमक्षअभ्यर्थीकोप्रवेशपत्रकेनिर्धारितस्थानपरहस्ताक्षर,**बायेहाथकेअंगूठेकानिशान**तथाहस्तलिपि(कालेबालपांईटपेनसे)अंकितकरनाहोगी।

(iv) प्रवेश-पत्रपृथकसेडाकद्वाराप्रेषितनहींकिएजायेंगे।

2.8मूल्यांकन पद्धति:-

वस्तुनिष्ठप्रश्नकासहीउत्तरअंकितकरनेपर1अंकदियाजायेगा।ऋणात्मकमूल्यांकननहींकियाजावेगा।

2.9अ.त्रुटिपूर्णप्रश्न,उसकानिरस्तीकरणएवंबदलेमेंदियागयाअंक:-

परीक्षाउपरांतमंडलद्वाराअभ्यर्थियोंसेप्रश्नपत्रकेविषयमेंआपत्तियॉआहूतकीजातीहैतद्नुसारविषयविशषज्ञोंसेप्रश्नपत्रकेआपत्तियुक्तप्रश्नकापरीक्षणकरायाजाताहै।निम्नलिखितकारणोंसेप्रश्ननिरस्तकिएजासकतेहै:-

(i) प्रश्नकीसंरचनागलतहो।

(ii) उत्तरकेरूपमेंदियेगयेविकल्पोंमेंएकसेअधिकविकल्पसहीहों।

(iii) कोईभीविकल्पसहीनहो।

(iv) यदिप्रश्न-पत्रकेकिसीप्रश्नकेअंग्रेजीएवंहिन्दीअनुवादमेंभिन्नताहोजिसकारणदोनोंकेभिन्न-भिन्नअर्थनिकलतेहोंऔरसहीएकभीउत्तरप्राप्तनहोताहो।

(v) कोईअन्यमुद्रणत्रुटिहुईहोजिससेसहीउत्तरप्राप्तनहोयाएकसेअधिकविकल्पसहीहो।

(vi) अन्यकोईकारण,जिसेविषयविशेषज्ञसमितिद्वाराउचितसमझाजाये।

(vii)

प्रश्नपत्रविषयविशेषज्ञसमितिद्वाराकीगईअनुशंसाअनुसारऐसेनिरस्तकिएगएप्रश्नोंकेलिएस भीकोइसप्रश्न-

पत्रमेंउनकेद्वाराअर्जितअंकोंकेअनुपातमेंपी.ई.बी.अंकप्रदानकरताहै।भलेहीउसनेनिरस्तकिए गएप्रश्नोंकोहलकियाहोयानहीं।

<u>उदाहरण01</u>:-

यदिकिसी100प्रश्नोंकेप्रश्नपत्रमें2प्रश्ननिरस्तकिएजातेहैंऔरमूल्यांकनकेबादयदिअभ्यर्थी98प्रश्नोंमें90अंकप्राप्तकरताहैं,तोउसकेअंकोंकीगणनानिम्नानुसारहोगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

<u>उदाहरण02</u>:-

यदिकिसी150प्रश्नोंकेप्रश्नपत्रमें2प्रश्ननिरस्तकिएजातेहैंऔरमूल्यांकनकेबादयदिअभ्यर्थी148 प्रश्नोंमें140अंकप्राप्तकरताहैं,तोउसकेअंकोंकीगणनानिम्नानुसारहोगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

<u>उदाहरण03</u>:-

यदिकिसी200प्रश्नोंकेप्रश्नपत्रमें2प्रश्ननिरस्तकिएजातेहैंऔरमूल्यांकनकेबादयदिअभ्यर्थी198 प्रश्नोंमें190अंकप्राप्तकरताहैं,तोउसकेअंकोंकीगणनानिम्नानुसारहोगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट:-सभीगणनाकोदशमलवकेदोअंकोंतककीजायेगी।

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

2.9 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजशन पद्धति :–

म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल,भोपालकेआदेशक्र.पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016भोपाल,दिनांक04.08.2016केअनुसार**MPES**Bद्वाराआयोजितपरीक्षाऐं,जिसमेंपरीक्षाआयो

जनएकसेअधिकशिफ्टोंमेंकियाजाताहैतोउनपरीक्षाओंमेंपरीक्षापरिणामनार्मोलाईजेशनपद्धतिसेतैयारकियाजावेगा।जिस कासूत्रनिम्नानुसारहै:-

Normalized Mark of j^{th}candidate in i^{th}session $\widehat{M}_{ij}$is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_t^g - M_q^g}{\bar{M}_{ti} - M_{iq}}(M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} **is the actual marks obtained by the j^{th}candidate in i^{th}**

$\bar{M}_t^g$ **is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions**

M_q^g **is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions**

$\bar{M}_{ti}$ **is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th}session**

M_{iq} **is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th}session**

(नार्मोलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए पी.ई.बी. की वेबसाईट देखे)

2.10 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदनः–

(i) प्रश्नपत्रमेंकिसीप्रकारकीत्रुटिपूर्णप्रश्नों/उत्तरोंकेसंबंधमेंकेवलपरीक्षार्थीद्वाराअपनीआपत्तियाँइस हेतु मंडलवेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है | लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाइन आपत्तियाँ ली जा सकेंगी | उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी | अभ्यर्थीद्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकेगी | एक बार आपत्ति दर्ज होनेपरउसप्रश्नकोविषयविशेषज्ञोंद्वाराविस्तृतरूपसेपरीक्षणकरनिर्णयलियाजावेगा, अतःउनप्रश्नोंपरएक बार आपत्ति दर्ज होनेके उपरांत पुनः आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी| प्रति प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा राशि 50/- (पचास) मात्र शुल्क देय होगा|

(ii) बिन्दुक्रमांक2.9अअनुसारMPESB द्वाराप्रश्न-पत्रमेंत्रुटिपूर्णप्रश्नोंकेसाथ-साथपरीक्षार्थियोंसेप्राप्तअभ्यावेदनोंपरविचारउपरान्तमूल्यांकनहेतुअंतिम “की” (अंतिमउत्तर) तैयारकीजायेगी।

(iii) अंतिमउत्तरकेसंबंधमेंम.प्र. कर्मचारी चयन मंडलभोपालद्वारालियागयानिर्णयअंतिमहोगा।

2.11 अनुचित साधन(Unfair means, UFM) :–

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) **<u>अनुचित साधन (Unfair means)</u>**/ <u>यू.एफ.एम. (**UFM**)के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में</u>

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल,नकल पर्चा / Rough Papers/Loose Paper Slipइलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।

2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, ईशारे करनाव अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।

3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जानेपर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करनावउसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा।

4 नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

5. सक्षम अधिकारी के निर्देशो की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

7.परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना,धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना।

9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।

10.उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।

यूएफएम प्रकरणो में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) <u>पररूपधारण(IMPERSONATION)के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबध में</u>

1.अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION)की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कत्य विधिके अनुसार अपराध है । ऐसे में अभ्यर्थी में विरूद्ध यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

2. विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व काउंसलिंग के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते है, तो विभाग उक्त अभ्यर्थीकी अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर MPESBको अवगत कराया जायेगा ।

MPESBद्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है ।

2.12परीक्षापरिणामकाप्रकाशन:-

(i) परीक्षापरिणामघोषितहोनेकेपूर्वMPESBकीवेबसाईटपरपरीक्षापरिणामकेसाथ-साथविषयवारआदर्शउत्तर(subject wise model answers)अभ्यर्थियोंकीसुविधाकेलियेउपलब्धहोंगे।

(ii) नियमपुस्तिकाकेअध्यायोंमेंउल्लेखितनियमोंकेआधारपरMPESBद्वाराअभ्यर्थियोंकीप्रावीण्य सूचीतैयारकीजाएगी।

(iii) संबंधितविभागकीअनुशंसा/निर्देशउपरांतपरीक्षापरिणाम म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल, भोपालकीवेबसाईटwww.esb.mp.gov.inपरउपलब्धकरायाजावेगा।

(iv) विभाग/विभागोंकोभेजीजानेवालीमेरिटलिस्टMPESBकीवेबसाईटपरभीअपलोडकीजाऐंगी।

(v) अन्तिमकुंजीसमितिकीअनुशंसाऐंभीMPESBकीवेबसाईटपरअपलोडकीजाऐंगी।

2.13परीक्षापरिणाम:-

(i) परीक्षाकेसभीचरणोंकेसम्पन्नहोनेकेबादअभ्यर्थियोंकापरिणामपी.ई.बी.कीवेबसाईटwww.esb.mp.gov.in परअपलोडकियाजायेगा।

(ii) तदनुसारअभ्यर्थीवेबसाईटसेडाउनलोडकरपरिणामप्राप्तकरसकतेहैं।डाकसेपरीक्षापरिणामका प्रेषणनहींकियाजायेगा।

2.14म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल,भोपालकाकार्यलिखितपरीक्षाओंकासंचालनएवंउसकापरिणामघोषितकरनामात्रहोगा:-

(i) परीक्षासंचालनसेसंबंधितसभीनीतिगतविषयोंकानिर्धारणएवंनिर्णयलेनेकाअंतिमअधिकार MPESBकाहोगा।

(ii) MPESBअपनेपासपरीक्षासंचालनसंबंधीनियमों/प्रक्रियाओंकोसंशोधितकरनेकाअधिकारसुरक्षितरखताहैएवंMPESBद्वाराकियागयाकोईभीऐसासंशोधनबंधनकारीहोगा।

(iii) अंतिमरूपसेपरीक्षापरिणामघोषितहोनेपश्चात्परीक्षासेसंबंधितअभिलेखMPESBद्वाराजारी आदेशक्र.पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 मेंउल्लेखितअनुसारनष्टकरदिएजायेंगे।

2.15न्यायिकक्षेत्राधिकार:-

परीक्षासंचालनसंबंधीनियमों/प्रक्रियाओंकेविधिसंबंधीकिसीभीविवादकीस्थितिमेंक्षेत्राधिकार(Jurisdiction) मध्यप्रदेशकेउच्चन्यायालयकेअंतर्गतरहेगा।

खण्ड-ब

2.16ऑनलाईनआवेदन-पत्रकेसाथसंलग्नकियेजानेवालेदस्तावेजोंकाविवरण:-

ऑनलाईनआवेदन-पत्रकेसाथआवेदककोनिम्नलिखितआवश्यकदस्तावेजअनिवार्यरूपसेस्कैनकराकरसंलग्नकरनेहोंगे।इनकेअभावमेंआवेदनपत्रस्वीकारनहीहोगा:-

(i) आनलाईनआवेदनपत्रकेसाथअभ्यर्थीकाकलरफोटो,हस्ताक्षरएवंस्वयंकीहस्तलिपी कोप्रपत्र**प्रारूप-10**अनुसारस्केनकराकरसंलग्नकरनाहोगा।

(ii) ऑनलाईनआवेदन-पत्रमेंआवेदककोजन्मतिथिकेप्रमाणहेतुआठवी/दसवीअथवाबारहवीकीअंकसूचीकोस्केनकरवाकरसंलग्नकरनाहोगा।

(iii) अनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजाति/अन्यपिछ्ड़ावर्गकेअभ्यर्थियोंकेजातिप्रमाणीकरणहेतुसक्षमअधिकारीद्वाराजारीजातिप्रमाणपत्रकोस्केनकरवाकरसंलग्नकरनाहोगा।

2.17 ऑनलाईनआवदेनपत्रकेसाथफोटोएवंहस्ताक्षरसंलग्नकरनेसंबंधीनिर्देश:-

(i) आनलाईनआवेदनपत्रकेसाथअभ्यर्थीकाकलरफोटो,हस्ताक्षरएवंस्वयंकीहस्तलिपी कोप्रपत्र**प्रारूप-10**अनुसारस्केनकराकरसंलग्नकरनाहोगा।जिसमेंफोटोऊपरीभागमेंतथाहस्ताक्षरनीचेकेभागमेंहोगें।फोटोग्राफअच्छीगुणवत्ताएवंपृष्ठभाग(background)सफेदहोनाचाहिये।

(ii) पोलोराइड(Polaroid)फोटोग्राफमान्यनहींहोगा।

(iii) अभ्यर्थीकाफोटोग्राफसामनेसेखींचाहुआहोनाचाहिए।जिसमेंअभ्यर्थीकेदोनोंकानभी स्पष्टदिखाईदें।

(iv) उपरोक्तमांपदडकेफोटोग्राफसंलग्ननहीकियेजानेपरआवेदनपत्रनिरस्तकियाजायेगा।

(v) फोटोग्राफ<u>आवेदनभरनेकीतिथि</u>सेतीनमाहसेअधिकपुरानानहींहोनाचाहियेतथा<u>फोटोग्राफपरखिंचवानेकीदिनांकवआवेदककेनामकास्पष्टउल्लेखहोनाचाहिये।</u>यथासंभवअभ्यर्थीद्वाराआवेदनपत्रमेंजैसाफोटोदाढीमें/क्लीनशेवमेंलगायागयाहैतोपरीक्षाहालमेंवैसीहीस्थितिमेंउपस्थितिदर्जकरानीहोगी।

(vi) यदिपढ़नेकेलिएचश्माउपयोगमेंलायाजाताहै,तोचश्मालगाकरफोटोग्राफखिंचवाया जानाहोगा।कालेचश्मेकेसाथखिंचाहुआफोटोग्राफमान्यनहींकियाजायेगा।

(vii)

ऑनलाईनआवेदनपत्रकेसाथसंलग्नकियागयाफोटोहीकाउंसिलिंग/चयनप्रक्रियामेंउपयोगमेंलायाजायेगा।अत:ऑनलाईनआवेदनपत्रकेसाथसंलग्नफोटोग्राफकीकमसेकम5प्रतियाँसुरक्षितरखाजानाहोगा।

(viii)

ऑनलाईनआवेदनपत्रमेंहस्ताक्षरनिर्धारितजगहपरफोटोकेनीचेपूर्णत:स्पष्टरूपसेकियेजानेहोंगे।लघुहस्ताक्षर,अंग्रेजीकेकेपीटलअक्षरोंमेंहस्ताक्षरअथवाएकसेअधिकहस्ताक्षरमान्यनहींहोंगे।

(ix) मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो - हस्ताक्षर - हस्तलिपि होने पर आवेदन-पत्र अमान्य किये जायेंगे |

(x)

ऑनलाईनआवदेनपत्रकेसाथदिएगएहस्ताक्षरकेसमानहीहस्ताक्षरपरीक्षाहाल,काउंसिलिंग/चयनएवंप्रवेशकेसमयमान्यहोगें।

2.18 एम.पी.ऑनलाईनकियोस्ककेमाध्यमसेआवेदनफार्मभरनेकीविधि:-

एम.पी.ऑनलाईनकेअधिकृतकियोस्ककेमाध्यमसेभीऑनलाईनआवेदन-पत्रभराजासकताहै,जिसकेलिएचाहीगईसमस्तजानकारियोंवफोटोसहितआवेदककोजानाहोगा:-

(i) पोर्टलपरद्वाराउपलब्धकराएगएआवेदन-पत्रकेप्रारूपकोनियमोंकेअनुरूपउचितरूपसेभरनाचाहिये।

(ii)

कियोस्कधारकआवेदककाफोटो,हस्ताक्षरवहस्तलिपिकीदोलाईनोंकोस्केनकरऑनलाईनआवेदन-पत्रकेसाथयथास्थानसंलग्नकरेगा।

(iii) फार्मभरनेकेउपरांतआवेदकफार्ममेंभरीगईसमस्तजानकारियांभलीभांतिपढ़करसही-सहीजानकारीभराहोनासुनिश्चितकरनेपश्चात्हीकियोस्कधारककोपोर्टलशुल्ककाभुगतानहेतुसहमतिदेंतथानकदराशिकाभुगतानकियोस्कधारककोकरें।

(iv)अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिखित आवेदन पर MPESBद्वारा विचार नहीं किया जायेगा |

(v) भुगतानप्रक्रियापूर्णहोनेपरकियोस्कधारकद्वाराकम्प्यूटराईज्डआवेदन-पत्रसहरसीदआवेदककोउपलब्धकरायेगा,जिसमेंआवेदककाऑनलाईनआवेदन-पत्रमेंभरीगईसमस्तजानकारीकेसाथपोर्टलशुल्कभुगतानकीजानकारीउपलब्धरहेगी,जिसेस्वयंकेपाससंभालकररखाजानाहोगा,ताकिऑनलाईनआवेदन-पत्रभरनेमेंयदिकोईगलतीपरिलक्षितहोतीहैतोउसेअंतिमतिथिकेबादमुख्यपृष्ठपरउल्लेखितसंशोधनतिथियोंकेदौराननिर्धारितशुल्ककाभुगतानकरठीककिया/करवायाजासकेगा।

2.19 <u>ऑनलाईनआवेदनभरनेकेसंबंधमेंनिर्देश:</u>

(i)आवेदनपत्र,आवेदनजमाकरनेकीअंतिमतिथिकीरात्रि12.00बजेतकऑनलाईनभरेजासकतेहै।आवेदकद्वाराभरेजानेवालेआवेदनपत्रमेंराज्यएवंजिलेकाविवरण"मीनू"केमाध्यमसेप्राप्तहोगा।जिससेभविष्यमेंआवश्यकतानुसारराज्यएवंजिलेकीआवश्यकजानकारीप्राप्तकीजासके।

(ii) **आवेदककोआवेदनपत्रमेंशरीरकेस्थायीचिन्हतथापरीक्षाकेसमयप्रस्तुतकियेजानेवालेफोटोपहचानपत्रकाविवरणतथाक्रमांकअनिवार्यरूपसेअंकितकियाजानाहोगा।इनकेअभावमेंआवेदनपत्रस्वीकारनहीहोगा।**

(iii) ऑनलाईनआवेदन-पत्रमेंभरीजानेवालीसमस्तजानकारियोंकीशुद्धताएवंसत्यताकापूराउत्तरदायित्वआवेदकका होगा।

(iv) आवेदकद्वाराआनलाईनआवेदनपत्रमेंशैक्षणिकअर्हताकेअनुरूपअर्हतारखनेवालीअंकसूचीकाक्रमांकतथाकुलप्राप्तांक,पूर्णाकसहितआवेदनपत्रमेंभराजानाअनिवार्यहै।

(v) **आनलाईनआवेदनपत्रमेंआवेदककाअपनाआधारकार्डक्रमांक/** आधार VID **अनिवार्यत:अंकितकियेजानेकाप्रावधानरखाहै।इसकेउपयोगसे**

1. परीक्षाकेठीकपूर्वरजिस्ट्रेशनडेस्कपरअभ्यर्थियोंकाबायोमैट्रिकसत्यापनकियाजावेगा ।
2. चयनितअभ्यर्थियोंकाBiometric Dataसंबंधितविभागोंकोहैशकोडेडसीडीमेंउपलब्धकरायाजायेगा।विभिन्नविभागोंद्वारायहBiometricसत्यापनस्वयंकेस्तरपरहीकियाजावेगा।

(vi)पहचानपत्रकेमीनूमेMPESBद्वाराअधिमान्यपहचानपत्रकाप्रावधानरखागया।

2.20 ऑनलाईनआवेदन-पत्रभरनेकीव्यवस्था:-

(i) ऑनलाईनआवेदन-पत्रएम.पी.आनलाईनकी**वेबसाईट**www.mponline.gov.inकेमाध्यमसेभराजासकताहै।

(ii) इसकेअतिरिक्तिस्वंयकेस्तरसेभीउपरोक्तउल्लेखितबेवसाईट्ससेडेबिट(कोईभीवीजा/मास्टर/मास्टरो)कार्ड/क्रेडिटकार्ड(कोईभीवीजा/मास्टरकार्ड)यानेटबैकिंगकेमाध्यमसेनिर्धारितपरीक्षाशुल्ककाभुगतानकरऑनलाईनआवेदन-पत्रभराजासकताहै।

(iii) सीधीभर्ती-बैकलॉगकेरिक्तपदोंहेतुअभ्यर्थियोद्वाराकोईपरीक्षाशुल्कदेयनहीहोगा।

(iv) शुल्कभुगतानकीप्रक्रियापूर्णहोनेकेउपरांतऑनलाईनआवेदन-पत्रकीएकप्रतिअपनेपाससुरक्षितरखें,ताकिउसमेंउल्लेखितआवेदन-पत्रक्रमांककाउपयोगकरमंडलकीवेबसाईटकेमाध्यमसेप्रवेश-पत्रप्राप्तकियाजासके।

2.21 ऑनलाईनआवेदन-पत्रभरनेहेतुदोविकल्पहैं:-

(अ)इंटरनेटकेफेद्वारा(क्योस्क)

(ब)स्वयंकेकम्प्यूटरद्वारा

(i) आवेदकवेबसाईटwww.mponline.gov.inकेमाध्यमसेहोमपेजपरउपलब्ध**CitizenServices**(नागरिकसेवाएं)केअंतर्गत

Applicationक्लिककर
MPESBलिंकमें

परीक्षाकेरिक्तपदोंकीपूर्तिहेतुऑनलाईनआवेदनपत्रभरनेसंबंधी**निर्देश/Instructions**तथापरीक्षा**नियम/Examination Rules**उपलब्धहोंगे।

(ii) निर्देशोंएवंनियमोंकाभलीभांतिअध्ययनकरनेकेपश्चात्ऑनलाईनआवेदनपत्रभरनेहेतु**Continue**बटनकोक्लिककरें।

(iii) ऑनलाईनआवेदन-पत्रमेंचाहीगईसमस्तजानकारियोंकोसही-सहीभरनाअनिवार्यहैतथाकिसीभीजानकारीकेरिक्तरहनेकीस्थितिमेंऑनलाईनआवेदन-पत्रजमानहींकियाजासकेगा।

(iv) ऑनलाईनआवेदन-पत्रकेसाथफोटो,हस्ताक्षरएवंहस्तलिपिकीदोलाईनोंकीएकइमेजतैयारकरनेहेतुLinkकेमाध्यमसेप्रारूपमुद्रितकरउसमेंयथास्थानहस्तलिपिकीदोलाईने,फोटोतथाहस्ताक्षरकरउसेस्केनकरjpgफार्मेटमेंहीकम्प्यूटरमेंसेवकरेंवइसेBrowseबटनकेमाध्यमसेसेवकिएगएइमेजकोऑनलाईनआवेदन-पत्रकेसाथसंलग्न(Attach)करें।

(v) ऑनलाईनआवेदन-पत्रकोSubmitकरनेकेपूर्वपुन:पढ़करसुनिश्चितकरेंकिआवेदन-पत्रमेंभरीगईजानकारीसहीहैअथवानहीं।यदिकिसीप्रकारकीकोईगलतीहोतोउसेठीककरनेकेपश्चात्हीSubmitबटनकाउपयोगकरआवेदन-पत्रकोजमाकरें।

(vi) आवेदनपत्रजमाहोनेपरआवेदन-पत्रक्रमांकदर्शायाजायेगातथापोर्टलशुल्ककेभुगतानहेतुproceed to paymentबटनकाउपयोगकियाजानाहोगा,जिसकेअंतर्गतदोविकल्पउपलब्धहोंगे:-

(अ)क्रेडिट/डेबिटकार्ड (सभी बैंक के)

(ब)इंटरनेटबैंकिंग

2.22 क्रेडिट/डेबिटकार्डकेमाध्यमसेपरीक्षाशुल्ककाभुगतान:-

(i) आवेदन-पत्रभरनेकेउपरांतपोर्टलशुल्ककाभुगतानकिसीभीबैंककेक्रेडिटकार्डकेमाध्यमसेकियाजासकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिटकार्डविकल्पकाचयनकरनेपरनिर्धारितबैंकोंकाभुगतानहेतुपेमेन्टगेटवेउपलब्धहोगा,जिसमेंक्रेडिट/डेबिटकार्डकाविवरणभरकरपोर्टलशुल्ककाभुगतानकियाजासकता है।

(iii)

पोर्टलशुल्ककेसफलतापूर्वकभुगतानहोनेपरट्रांजेक्शनसंबंधीजानकारियोंकीकम्प्यूटराईज्डरसीदउपलब्धहोगी,जिसेमुद्रितकरसंभालकररखाजानाहोगा।

2.23 इंटरनेटबैंकिंगकेमाध्यमसेपरीक्षाशुल्ककाभुगतान:-

(i) आवेदककेपासइंटरनेटबैंकिंगकीसुविधाउपलब्धहोनेपरऑनलाईनआवेदन-पत्रभरनेकेउपरांतपोर्टलशुल्ककाभुगताननिर्धारितबैंकोंकीइंटरनेटबैंकिंगसेबैंकद्वाराप्रदाययूजरआई.डी.काउपयोगकरकियाजासकताहै।

(ii)

पोर्टलशुल्ककेसफलतापूर्वकभुगतानहोनेपरट्रांजेक्शनसंबंधीजानकारियोंकीकम्प्यूटराईज्डरसीदउपलब्धहोगी,जिसेमुद्रितकरसंभालकररखाजानाहोगा।

2.24

आवेदककेपासउपरोक्तउल्लेखितक्रेडिट/डेबिटकार्डअथवाइंटरनेटबैंकिंगकीसुविधाउपलब्धनहींहोनेकीस्थितिमेंवहऑनलाईनआवेदन-पत्रभरनेकेउपरांतएम.पी.ऑनलाईनकेअधिकृतकियोस्ककेमाध्यमसेऑनलाईनआवेदन-पत्रक्रमांकउपलब्धकराकरUnpaid Applicationलिंककेउपयोगसेशुल्ककाभुगतानकरआवेदन-पत्रजमाकररसीदएवंऑनलाईनआवेदन-पत्रकीप्रतिप्राप्तकरसकताहै,जिसेसंभालकररखाजानाहोगा,ताकिऑनलाईनआवेदन-पत्रभरनेमेंयदिकोईगलतीपरिलक्षितहोतीहैतोउसेअंतिमतिथिकेबादमुख्यपृष्ठपरउल्लेखितसंशोधनतिथियोंकेदौराननिर्धारितशुल्ककाभुगतानकरठीककिया/करवायाजासकताहै।

2.25 निर्धारिततिथिमेंजमाकिएगएऑनलाईनआवेदनपत्रमेंसंशोधनकीव्यवस्था

ऑनलाइनआवेदनपत्रमेंआवेदकोंद्वारासंशोधनकरनेकीप्रक्रियानिम्नानुसारबिन्दुओकेआधारपरहोगी:-

(i) ऑनलाईनआवेदन-पत्रमेंनिर्धारितदिवसतकस्वयंआवेदकद्वाराइन्टरनेटसेअथवाएम.पी.ऑनलाईनकेअधिकृतकियोस्ककेमाध्यमसेअपनेऑनलाईनआवेदन-पत्रमेंसंशोधनकियाजासकेगा।

(ii)उक्तसुविधाकेवलऑनलाईनआवेदन-पत्रभरनेकीनिर्धारितअवधिमेंपरीक्षाशुल्कराशिकाभुगतानकरसफलतापूर्वकभरेगएआवेदन-पत्रोंकेलिएहीउपलब्धहोगी।

(iii) संशोधनहेतुनिर्धारिततिथियोंकीअवधिमेंआवेदकद्वाराएकयाएकसेअधिकबारअपनेआवेदन-पत्रमेंसंशोधनकियाजासकेगा,जिसकेलिएप्रत्येकबारआवेदककोसंशोधनशुल्ककाभुगतानएम.पी.ऑनलाईनकेअधिकृतकियोस्कयाक्रेडिटकार्डकेमाध्यमसेकरनाहोगा।

(iv) उपरोक्तप्रक्रियामेंकिसीआवेदकद्वारायदिश्रेणीअनारक्षितकेस्थानपरअनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजाति/अन्यपिछड़ावर्गकासंशोधनकियाजाताहै,तोउसकेद्वाराभुगतानकीगईपरीक्षाशुल्कराशिमेंसेअजा/अजजा/अन्यपिछड़ावर्गकेलिएनिर्धारितपरीक्षाशुल्कमेंछूटकीराशिवापसनहींकीजायेगी।

(v) परन्तुयदिकिसीआवेदकद्वाराअनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्यपिछड़ावर्गश्रेणीसेअनारक्षितकासंशोधनकियाजाताहै,तोउसेअनारक्षितकेलिएनिर्धारितपरीक्षाशुल्कराशिमेंपूर्वमेंजमाकीगईराशिकासमायोजनकरशेंषराशिकाभुगतानकरनाहोगा।

(vi) संशोधनप्रक्रियाकेअंतर्गतआवेदककोVital Fieldअर्थात्नाम,पिता/माता/पतिकेनामएवंजन्मतिथिमेंकिसीभीप्रकारकासंशोधननहीकियाजासकेगा,अन्यप्रविष्टियोंजैसेफोटोवहस्ताक्षरमेंसंशोधनकीसुविधाउपलब्धहोगी।

(vii) संशोधनकेलिएनिर्धारितअवधिमेंस्वयंआवेदकद्वाराऑनलाईनआवेदन-पत्रक्रमांक,ट्रांजेक्शनआई.डी.नंबरवजन्मतिथिकाउपयोगकरअपनेऑनलाईनआवेदन-पत्रमेंआवश्यकसंशोधनकियाजासकेगातथाऐसेकिसीभीसंशोधनकेलिएआवेदककीस्वयंकीजिम्मेदारीहोगी।

(viii) ऑनलाईनआवेदन-पत्रक्रमांक,ट्रांजेक्शनआई.डी.नंबर,बोर्डआवेदन-पत्रक्रमांक,मोबाईलनंबरएवंई-मेलआई.डी.मेंसंशोधननहींकियाजासकेगा।

(ix)संशोधनकेलिएनिर्धारितसमयावधिकेपश्चात्किसीभीप्रकारकासंशोधनमान्यनहींहोगा।अभ्यर्थीकेकिसीभीप्रकारकेआवेदनपरMPESBद्वाराविचारनहीकियाजायेगातथाअभ्यर्थीकेपत्रकोनस्तीबद्धकरतेहुयेMPESBद्वाराप्रतिउत्तरनहींदियाजायेगा।

2.26 एकसेअधिकऑनलाईनआवेदन-पत्रभरनेसंबंधीनिर्देश:-

(i) ऑनलाईनआवेदन-पत्रभरनेकीनिर्धारितअवधिमेंकिसीकारणवशयदिआवेदकएकसेअधिकअर्थात्डुप्लीकेटऑनलाईनआवेदन-पत्रभरताहै,तोउसेपूर्वमेंभरेगएआवेदन-पत्रकीजानकारीयथाआधारनम्बरनाम,पिता/पतिकानाम,माताकानामजन्मतिथि,लिंगइत्यादिमेंसमानताकेआधारपरकम्प्यूटरपरसचेतकियाजायेगाकिउक्तजानकारीकापूर्वसेहीऑनलाईनआवेदन-पत्रभरागयाहै,क्याउसेनिरस्तकरनाचाहतेहै?यदिआवेदकद्वारा“हॉ“विकल्पकाचयनकियाजाताहैतबहीउसकेद्वारानवीनआवेदन-पत्रभराजासकेगा,अन्यथापूर्वमेंभरागयाऑनलाईनआवेदन-पत्रहीमान्यहोगा।

(ii)

अभ्यर्थीद्वाराविकल्प"हॉ"काचयनकरनवीनआवेदनभरनेकीस्थितिमेंआवेदककेमोबाईलनंबर/ई-मेलआईडीपरएम.पी.ऑनलाईनद्वारायथासम्भवपूर्वमेंभरागयाआवेदननिरस्तहोनेकीजानकारीभेजीजाएगीतथानवीनआवेदन-पत्रकीहार्डकॉपीमेंभीपूर्वमेंभरागयाआवेदनपत्रनिरस्तहोनेकीजानकारीदीजायेगी।

(iii)

ऐसीस्थितिमेंपूर्वमेंभरेगएआवेदनकाभुगतानकियागयाशुल्कराजसातकियाजावेगातथाइसकेस्थानपरभरेगएनवीनआवेदन-पत्रकेलिएपुन:शुल्ककाभुगतानकरनाहोगा।

(iv)

आवेदकद्वाराछद्मरूपसेएकसेअधिकआवेदनकियेजानेपरअभ्यर्थीकीअभ्यर्थितानिरस्तकीजावेगी।

2.27ऑनलाईनआवेदन-पत्रकानिरस्तीकरण:-

(i)

एम.पी.ऑनलाईनसेडेटाप्राप्तहोनेकेउपरान्तनियमपुस्तिकामेंउपलब्धकरवायेगयेफोटोएवंहस्ताक्षरसंबंधीस्पेशिफिकेशनकेआधारपरफोटो,हस्ताक्षरएवंहस्तलिपिकापरीक्षणMPESBस्तरपरभीसुनिश्चितकियाजायेगा।इसकेपूर्वएम.पी.ऑनलाईनद्वारायहपरीक्षणकियाजाएगा।

(ii)

इनमेंत्रुटि,अस्पष्टता,याडाटाकीअनुपलब्धताहोनेकीस्थितिमेंआवेदककाआवेदनपत्रनिरस्तकियाजायेगा।

(iii)

इससंबंधमेंMPESBद्वाराकोईभीपत्राचारनहीकियाजायेगातथासमस्तजवाबदारीआवेदककीस्वयंकीहोगी।

2.28 ऑनलाईनआवेदन-पत्रकेसंबंधमेंकिसीभीप्रकारकीजानकारी/समस्याकेलिएM.P. OnLineकेHelpdeskकेदर्शाएगएदूरभाषक्रं.0755 - 6720200परसम्पर्ककियाजानाहोगा।

2.29 परीक्षाकेप्रश्नपत्रोंसेसंबंधितपाठ्यक्रमनियमपुस्तिकाकेपृथकअध्यायमेंदियागयाहै।

2.30 पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन

म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल, भोपालद्वारापरीक्षापरिणामजारीकियेजानेकेपश्चातपुन:गणना/पुनर्मूल्यांकनकाप्रावधाननहींहै।अभ्यर्थीकेकिसीभीप्रकारकेआवेदनपरMPESBद्वाराविचारनहीकियाजायेगातथाअभ्यर्थीकेपत्रकोनस्तीबद्धकरतेहुयेMPESBद्वाराप्रतिउत्तरनहींदियाजायेगा।

2.31 अभ्यर्थीद्वाराजानकारी/समस्याकेलिएटोलफ्रीनम्बर 18002337899 परसम्पर्ककियाजासकताहै साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत MPESBकी E-mail ID complain.peb@mp.gov.inपर भेज सकते हैं।

खण्ड-स

2.32 आवेदनपत्रभरनेकीसमयावधि

ऑनलाईनआवेदनपत्र			ऑनलाईनआवेदनमेंसंशोधन		
भरनेकीप्रारंभिकतिथि	भरनेकीअंतिमतिथि	भरनेकेकुलदिवस	करनेकीप्रारंभिकतिथि	करनेकीअंतिमतिथि	करनेकेकुलदिवस
15/02/2023	01/03/2023	15	15/02/2023	06/03/2023	20

2.33आनलाईनपरीक्षाकाविवरण

स.क्र.	दिनांक	दिन	पाली	समय	अवधि	अधिकतमअंक
1.	08/06/2023 सेप्रारंभ	गुरुवार से प्रारंभ	प्रथम	प्रात:09:00से11:00तक	02घंटे	150
2.			द्वितीय	दोपहर 02:00 से 04:00तक	02घंटे	150

परीक्षामेंहिन्दी/अंग्रेजीमाध्यममेंवस्तुनिष्ठप्रकारकेप्रश्नहोंगे,जिनमेंप्रत्येकप्रश्नकेचारसंभावितउत्तर/विकल्पदियेरहेंगे।परीक्षार्थीकोसहीउत्तरचुनकरउससे संबंधितगोलेकोकम्प्यूटरकेमाउसकीसहायकसेकालाकरनाहोगा।

2.34 (i) परीक्षाशुल्क:-

स.क्र.	प्रश्नपत्रोंकीसंख्या	अनारक्षितश्रेणी केअभ्यर्थियोंके लिये	अन्यपिछड़ावर्ग/अनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजातिकेअभ्यर्थियोंकेलिये(म.प्र.केमूलनिवासियोंकेलिये)	नि:शक्तजनअभ्यर्थियोंकेलिये(म.प्र.केमूलनिवासियोंकेलिये)	आवेदनपत्रजमाकरनेकेलियेएम.पीऑनलाईनकापोर्टलशुल्क
01.	एक	400/-	200/-	200/-	कियोस्ककेमाध्यमसेभरनेपर60/- रस्टिर्डसिटीजनयूजरकेमाध्यमसेभरनेपर20/-

(ii) संशोधनकियेजानेपरदेयशुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रोंकीसंख्या	आवेदनपत्रमेंप्रत्येकवारसंशोधनकियेजानेपरशुल्क	आवेदनपत्रमेंप्रत्येकवारसंशोधनकियेजानेपरपोर्टलशुल्क
01.	एक	20/-	40/-

2.35परीक्षाशहर:-

आवेदकों को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहरों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है | बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंकित किये गये शहरों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केंद्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा | तथापि परीक्षाशहरएवंपरीक्षाकेन्द्रोकीउपलब्धताकेअनुरूपअभ्यर्थियोंकोभीवांछितपरीक्षाशहरकेस्थानपरअन्यपरीक्षाशहरआवंटितकियाजासकताहै।बोर्ड अपनीसुविधानुसारपरीक्षाशहरो/केन्द्रोंमेंपरिवर्तन,कमीयावृद्धिकरसकताहै एवं उक्त सम्बन्ध में MPESBका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा | अतः परीक्षा केंद्र परिवर्तन के सम्बन्ध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे | लिखितपरीक्षानिम्नलिखितपरीक्षाशहरो/केन्द्रोंपरआयोजितकीजायेगी।

आनलाईनपरीक्षाकेन्द्र			
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर
5.रतलाम	6.सागर	7.सतना	8.उज्जैन

खण्ड-द

ऑनलाईनपरीक्षाप्रणालीकेसंबंधमेंनिर्देश

2.36

(i) अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर उल्लेखित निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर परीक्षाकेन्द्रपरअभ्यर्थीकीउपस्थितिअनिवार्यहै।परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

(ii)परीक्षातिथिपरपरीक्षाकेन्द्रमेंअभ्यर्थीबायोमेट्रिकसत्यापनकियाजाएगा।अभ्यर्थीकेबायोमेट्रिकसत्यापनप्राप्तनहींहोनेकी स्थितिमेंउसेपरीक्षामेंबैठनेकीपात्रतानहींहोगी।

(iii) बायोमेट्रिककेअतिरिक्तअभ्यर्थीकोटी.ए.सी.केद्वितीयभागकीप्रविष्टियोंकोभरकरलानाअनिवार्यहै

(iv) MPESBकीवेबसाईटपरअभ्यर्थियोंकेलियेऑनलाईनपरीक्षाकेमॉकटेस्टकीव्यवस्थाउपलब्धरहेगी,जिसकाउपयोग करआवेदकपरीक्षापूर्व,परीक्षाप्रक्रियाकाअभ्यासकरसकताहै।

(v) MPESBकार्यालयमेंभीआवेदककेलियेऑनलाईनपरीक्षाप्रक्रियाकेअभ्यासकीसुविधाउपलब्धरहेगी

(vi) अभ्यर्थीकोपरीक्षाकेदौरानप्रत्येकप्रश्नकेलियेउपलब्धचारविकल्पमेंसेएकविकल्पकाचयनउत्तरअंकितकरनेकेलिये अनिवार्यहोगा।

(vii) MPESBकीवेबसाईटपरपरीक्षासमाप्तहोनेकेअगलेदिवसप्रश्नपत्रएवंमॉडलउत्तरप्रदर्शितकियेजायेगेजिसकेआधारप रआवेदकप्रश्नएवंउनकेउत्तरविकल्पोंकेसंबंधमेंअपनाअभ्यावेदननियमानुसारनिर्धारितप्रारूपमेंप्रस्तुतकरसकेगा।

(viii) अभ्यर्थियोंसेप्राप्तअभ्यावेदनोंपरविचारउपरान्तअंतिमउत्तरकुंजी(आदर्शउत्तर)तैयारकियेजायेगे।जिसकेआधारपर परीक्षापरिणामतैयारकरघोषितकियाजाएगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थीअपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते है ।अत: आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यकरूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।

(x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट मे किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधन MPESBके पास सुरक्षित रहेगा ।

(xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधनकिया जा सकता है

(xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धातर तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।

(xiii) अभ्यर्थीको केवल मूलफोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी । ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट यू.आई.डी.ए.आई.(UIDAI)के द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य होगा |

अध्याय-3

PRE-NURSING SELECTION TEST – 2021
SYLLABUS

1. PHYSICS

Unit and Dimensions, Dimensional Analysis, S.l, Units, Motion in two dimensions cases of uniform velocity and uniform acceleration, general relation among position and velocity, uniform circular motion, force and inertia. Newton's laws of motion, Conservation of momentum and energy.

Static and kinetic friction, work energy and power elastic collisions, potential energy, gravitational potential energy and its angular conservation to its kinetic energy, potential energy of spring. Rigid body rotation and conservation of its momentum, moment of inertia, theorems of parallel and perpendicular axis. (moment of inertia of uniform ring, disc, thin rod and cylinder only).

Acceleration due to gravity and its variation, universal law of gravitation, geostationary satellites escape velocity.

Hooke's law, young's modulus, shear and bulk modulus, surface energy and surface tension, kinetic theory of gases, gas laws, kinetic energy and temperature.

Specific heats and constant volume and constant pressure mechanical equivalent of heat, isothermal and adiabatic processes. Heat conduction in one dimension, convection and radiation, Stefan's law and Newton's law of cooling. Periodic motion, simple harmonic motion, Oscillations due to spring. Wave motion, principle of superposition, progressive and stationery waves, beats and Doppler effect.

Wave nature of light, interference, young's double slit experiment, velocity of light and Doppler effect in light.

Reflection, refraction, total internal reflection, curved mirrors, lenses, mirror and lens formulae.

Dispersion in prism, absorption and emission spectra. The human eye, defects of vision, magnification and resolving power of telescope and microscope.

"e" and "e/m" for and electron, Einstein's photoelectric equation, photocells.

Bohr model of the atom, Hydrogen spectrum, compositions of nucleus, atomic masses and isotopes, radioactivity, laws of radio active decay, decay constant, half life, mass energy relation,

fissions, X-ray, properties and uses.

Elementary ideas of conductor, semi conductor and insulator, intrinsic and extrinsic semiconductors, p-n junction as a rectifier. Bar magnet, lines of force, torque on a bar magnet due to magnetic field, earth's magnetic field, tangent galvanometer, vibration maganetometer.

Coulomb’s law of electrostatic, dielectric constant, electric field and potential due to a point charge, dipole, dipole field, Guass’s law in a simplegeometrics.

Electrostatic potential, capacitance, parallel plate and spherical capacities in series and parallel, energy of a capacitor. Electric current, Ohm’s law, kirchhoffs laws, resistances in series and parallel temperature dependence of resistance, Wheat stone bridge, potentiometer. measurement of voltage as currents.

Electric power, heating effects of currents, chemical effects and law of electrolysis thermoelectricity

Blot Savart law, magnetic fields due to a straight wire circular loop and solenoid.

Force on a moving charge in a magnetic field (Lorentz force), magnetic moment of current loop, effect of uniform magnetic field of current loop, forces between two currents, moving coil, galvanometer, ammeter and voltmeter.

Electromagnetic induction induced e.m.f., Faradays law, Lenz’s law, self and mutual inductance alternating currents, impendance and reactance, growth and decay of current in L-R circuit, elementarary idea if dynamo and transformer.

2. CHEMISTRY:

GENERAL AND PHYSICAL CHEMISTRY

Structure of atom: Constitutions of nucleus: Bohr’s atom model: quantum numbers Aufbau principle, electronic configuration of elements (upto Kr): De-Broglie relation, shapes of orbitatis.

Chemical bond: electrovalent, covalent and coordinate bonds, hybridization(sp): hydrogen bond: shapes of molecules (VSEPR theory): bond polarity, resonance, elements of VBT a MOT.

Solutions: models of expressing concentrations of solutions: types of solutions, Raoult’s law of colligative properties, non-ideal solution, abnormal molecular weights.

Solid state: crystal lattices, unit cells, structure of ionic compounds: close packed structure ionic radi, imperfections(point defects): properties of solids.

Nuclear chemistry: radio active radiations: half-life, radioactive decay, group displacement law structure and properties of nucleus: nucleus reaction, disintegration series artcicial transmutation: isotopes and their uses:radiocarbon dating.

Chemical equilibrium: chemical equilibrium, law of mass action: Kp and Kc: Le Chatelier principle and its applications. Ionic equilibrium in solutions, solubility product, common ion effect, theories of acids and base hydrolysis of salts: PH: buffers.

Thermochemistry and thermodynamics: energy changing due to chemical reaction: instrinsic energy enthalpy, first law of thermodynamics: Hess's law heats of reactions: second law of thermodynamics: energy free energy: spontaneity of a chemical reaction: free energy change and chemical equilibrium: free energy as energy available for useful work.

Chemical kinetic: rate of reaction, factors affecting the rates, rate constant rate expression, order of reaction, first order rate constant expression and characteristics, Arrhenous equation.

Electrochemistry: oxidation, oxidation number and ion-electron methods. Electrolytic conduction,

Faraday's law: voltaic cell, electrochemical theory of corrosion. Surface chemistry, colloids and catalysis: Adsorption, colloids (types preparation and properities), Emulsions, Micelles, catalysis types and characterstics.

INOGRANIC CHEMISTRY:

principal and metallurgical operations: furnaces, ore concentration, extraction, purification metallurgies of Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn, and Pb and their properties. Chemical periodicity s.p.d and f-block elements, periodic table: periodicity: atomic and ionic radii valency, ionization energy, electron affinity electro negativity, metallic character.

Comparative study of elements: comparative study of following families of elements 1. Alkali metals 2. Alkaline earth metals 3. Nitrogen family 4. Oxygen family 5. Halogens 6. Noble gases. Transition

metals: electronic configuration of 3d metal ions, oxidation states, other general characteristics properties, potassium permanganate, potassium dichromate.

co-ordination compounds: simple nomenclature, bounding and stability, classification and bonding in

organometallics. chemical analysis: chemistry involved is simple inorganic qualitative analysis: calculations based on acid base titrimetry.

ORGANIC CHEMISTRY

Calculation of empirical and molecular formula of organic compounds, menclature of organic compounds, common functional groups isomerism structure and shapes of alkanes, alkanes and benzene.

Preparation properties and uses of alkynes, alkynes, benzene petroleum, cracking octane number, gasoline additives.

Nomenclature, physical chemical properties, correlation of physical properties with structure properties and uses of heloalkanes, halobenzenes, alcohols and phenols: general

ideas of some polyhalogen compounds vizdicholorothanes dichloraethers, chloroform, carbon tetrachloride D.D.T benzene hexachloride.

Nomenclature, methods of preparation, chemical properties correlations of physical properties with structures and uses of elhers aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives, brief account of the chemistry of cyanides isocyanides, amines and nitro compounds.

Polymers: classification: preparation and uses of common natural and synthetic polymers.

Bio-molecules: classification, structure and biological importance of carvohydrates amino acids, peptides, proteins and enzymes, nucleic acids and lipids.

BIOLOGY:

BOTANY

Structure organization of cell, cell theory. Light and electron microscopic view of cells. structure and functions of cell organalles : nucleous mitochondria, Chloroplast, Endoplasmic reticulum, Golgi complex lysosome, micro bodies, microfilaments ribonsomes. Centrioles and plasmids, Eukaryotic chromosome (morphology) cell and plasma membrane. Difference between cell and animal division, cell cycle significance of mitosis and meiosis.

Mendel's law of inheritance, monohyobird and dihybird cross; linage and crossing over of genetic material DNA relication, genetic code transcription, translation and gene regulation.

Difference between prokaryote and eukaryotes: structure reproduction and economic importance of viruses Mycoplasma, Bacteriophage, cynobacteria (Nostoc) and bacteria.

Five kingdom classification binomial nomenclature: external morophology and life cycle of spirogyra mucor, funaria selaginella and pinus.

Elementary knowledge of microsporogensis, megasporongenesis. Fertilization endosperm and embroyo development in angiosperms. Tissue and tissue systems, meristematic and permanent tissue, mineral nutrition essential elements and their function: uptake of minerals transport of water and solutes.

Transpiration photosynthesis and repiration: importance, mechanism and factors affecting these processes: photorespiration. Enzymes and growth hormones with reference to their classification, chemical nature, mode of action importance. Elementary idea of photoperiodism and phytochrome.

Ecosystem – structure and fumction, mojor ecosystems i.e lake and forest; food chain., food web and energy flow, ecological crises role of man in polluting environment – air water and soil.

Role of plants in human welfare: a general knowledge of plant products of economic value drugs, fibers, cereals.

Wheat and rice, pulses (gram), oil sees (ground nut,) sugarcane, coal and petroleum, Food preservation methods and importance.

Principle of plant breeding and its role in improvement of crops, biotechnology, scope and importance in agriculture and industriesmanufacture of cheese. Yoghurt alcohol antibiotics.

ZOOLOGY:

MULTICELLULARITY- STRUCTURE AND FUNCTION OF ANIMAL LIFE:

- Structure and fuction of animal tissues epithelial, connective muscular, skeletal and nerve.
- Histology of mammalian organs –stomach, intestine, liver, kidney, lung testes and ovary.
- Structure and physiology of different organ systems of human body. Skin, digestive systems, respiratory system, circulatory system, excretory system, nervous system, reproductive system.
- Skeleton, joints , muscles on the basic of movement receptors.
- Endocrine system with special refrence to various endocrine glands of man and hormonal coordination.
- Vitamins and minerals (Source and disorders due to deficiencies).

DEVELOPMENTAL BIOLOGY AND GENETICS:

- Female reproductive cycle in mammals. Gametogenesis alongwith structure of sperm and ovum. Types of eggs, fertilization, types of cleavage and blastula, development of mammals upto three germinal layers. Foetal membrane structure and functions in mammals.

- Growth, repair, ageing, amniocentesis.

- Chromosomes, types of chromosome, human karyotype and chromosomal abnormalities and syndromes, hormonal, chromosomal and genic balance theory of sex determination, sex linkage and sex linked inheritance in man, blood group and their significance, blood bank.

- Tissue culture, genetic engineering (brief idea), mutation gene mutation.

- Human population natality mortality, sex ratio population, explosion, dynamics of human life with respect to food supply, housing health and standard of living impact of population problems and their control.

TAXONOMY EVOLUTION ECONOMIC ZOOLOGY:

- Classification- bionominal and trinominal nomenclature, basic features of classification of different animal phyla upto classes with characters and suitable examples.

- Orgin of life, theories of organic evolution- Drawin, Lamarck, synthetic evidence of organic evolution, human evolution.

- Economic zoology/sericulture, apiculture, lac culture, poultry, fishery and pearl industry.

- Protozaon disease in relation to man, insect carrying diseases in relation to man.

- Cancer types of cancer and cancer cell communicable diseases (Hepatitis, AIDS). STD, immune response, vaccines and antiseta allergies.

- Smoking, alcoholism and drug addition symptoms and control.

- Wild conservation.
- Pesticides- users, advantages and hazards.

4. GENERAL ENGLISH

1. Reading Comprehension
2. Vocabulary items including synonyms and antonyms, word formation, Prefixes, Suffixes.

3. Grammar and usage:

(a) Articles and determiners.

(b) Agreement between the subject and the verb.

(c) Time and tenses.

(d) Prepositions and phrasal verbs

(e) Auxiliaries including modals.

4. Transformation of sentences.

(a) Voices : active and passive.

(b) Narration : direct and indirect.

(c) Degrees if comparison

(d) Sentences types : Affirmative, negative and interrogative

5. Common errors.

6. Spelling (the British pattern of spelling will be followed).

अध्याय-4

प्रमाण पत्रों के प्रारूप

प्रपत्र - 1 :

उम्मीदवार के पिता / माता/वैध अभिभावक का शपथ-पत्र

(केवल अनुसूचित जाति, जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए)

नाम .... पिता का नाम ....

जातिजनजाति (अनुसूची का क्रमांक)नाम...

धर्म ....

व्यवसाय ....

पता ....

मैं शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि :-

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अन्तर्गत जिला...के लिए घोषित .... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सदस्य हूँ।

अथवा

2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी .... जिला .... के समक्ष जाति प्रमाण-पत्र करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक............................... को प्रस्तुत किया गया है। उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

....

टिप्पणी :- जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट देवें एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

प्रपत्र - 2 :

उम्मीदवार के पिता / माता/वैध अभिभावक का शपथ-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग......................................जिला.............. मध्यप्रदेष

पुस्तक क्रमांक ....

प्रमाण-पत्र क्रमांक.........   प्रकरण क्रमाक.....................

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम.................................... निवासी ग्राम/नगर ....वि. खं..............................तहसील..जिला...सं भाग..जाति /जनजाति..................................का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेष राज्य के संबंध में अनुसूचिज जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संषोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेष की सूची में अनुक्रमांक ....पर अंकित है. अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम...अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।.

2. प्रमाणित किया जात है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी...के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये ....हैं.

हस्ताक्षर
प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

दिनांक ....

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 केअंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेष राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अथ है संविधान के अनुच्छेद 342केअंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेष राज्य से संबंधित जनजाति.

(2)केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गए प्रमाण-पत्र मान्य होंगे. (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट, (ब) तहसीलदार, (स) नायब तहसीलदार, (द) परियोजना प्रषासक /अधिकारी, वृहत्/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना,

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीद्वार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ-पत्र केआधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर।

प्रपत्र - 3 :

मध्यप्रदेश की अन्य पिछ़ड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप : नियम 1.2.2 देखें

संदर्भ क्रमांक.......................   दिनांक.................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम) ....आत्मज श्री.................................... निवासी ग्राम...............जिला/संभाग ....मध्यप्रदेष के निवासी है जो ....जाति ....के है, जिसे पिछ़ड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेष शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछ़ड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है.

श्री.. (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेष के जिला .... संभाग में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..(पिता का नाम) क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रषिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा म. प्र. शासन, सामान्य प्रषासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-16/2000/1 आ. प्र. दिनांक 6 जुलाई 2000 की अनुसूची अनुक्रमाक 6 आय/संपत्ती आंकलन भाग (क) संषोधित कालम (3) में किया गया है.

दिनांक......................

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

प्रपत्र - 4 :
भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक...................... दिनांक ....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम)... श्री/कुमारी..के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से........................ (स्थान) तहसील जिला............. में स्थायी रूप से व्यवस्थापित हो गये हैं।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :-

दिनांक .... (कार्यालय सील)

प्रपत्र - 5

अधिवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक........................ दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी..........................आत्मजा पत्नी श्री...ने नियमित छात्रा के रूप में इस संख्या...(संस्था का नाम) में सत्र .... से सत्र तक .... अध्ययन किया है।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर.............

नाम एवं पद................

स्थान ....

(कार्यालय सील)

दिनांक ....

प्रपत्र - 6

वास्तविक निवासी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक................ दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी ....
आत्मजा/पत्नी/श्री/श्रीमती.. जो
तहसील..जिला................... मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योंकि वह

(1) मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/ हुई है।

अथवा

(2) वह /उसका पालक/ वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा/रही है।

अथवा

(3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

(4) वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं। इसके अतिरिक्त -

(1) उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

(2) उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित में से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान..............................

दिनांक............................

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम एवं सील

टिप्पणी :- जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

प्रपत्र - 7

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक........................... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी....................... श्री/श्रीमती..का /की/पुत्री है।

(क) जो...................... विभाग में....पर............................ (तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी है।

अथवा

(ख) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो .... (तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

अथवा

(ग) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा के रहते हुए .... (तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं।

....

कार्यालय प्रमुख /सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रपत्र - 8 :

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.......................... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी...
श्री/श्रीमती...का /की/पुत्री है, जो दिनांक 1 जनवरी 2010 को अथवा उसके पूर्व कि तिथि .... में मध्यप्रदेश में स्थित .... विभाग में .... पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी हैं।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर.....................

नाम एवं पद ....

स्थान ....

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रपत्र - 9 :

मध्यप्रदेश में पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.......................... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी..
श्री/श्रीमती...का/की/पुत्री है, जो .... योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन /मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुनर्व्यवस्थापन योजना (त्मेमजजसमउमदज ैबीमउम) है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर........................

नाम एवं पद................................

स्थान ....

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रारूप-10

Professional Examination Board
प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4” x 5” सेमी फोटो यहाँ चिपकाये

4” x 5” cm photo paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction)हस्ताक्षर / Signature)

- (i)अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरोंe vFkok vxth d y/k gLrk{kj ekU; ugh gkx A(iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii)signature in capital letter or Short is not allowed(iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिएतथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वाराआवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर परझूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसारसंतोषजनकनहींपाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारीरद्दकी जा सकती हैं।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा कोबॉक्स-3 के अंदरअपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writingin box-3, the declaration given above)

Box-3